सत्यमेव जयते

चारागाह व बंजर भूमि विकास हेतु संदर्भ पुस्तिका (भाग-2)

राजस्थान बंजरभूमि विकास बोर्ड एवं बायोफ्यूल प्राधिकरण
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार

सुरेन्द्र सिंह राठौड़

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
बायोफ्यूल प्राधिकरण
एवं सदस्य सचिव
राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड

संदेश

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाहों के महात्मा गाँधी नरेगा योजना अन्तर्गत संरक्षण एवं विकास कार्यों हेतु प्रस्ताव तैयार करने, सहभागी कार्ययोजना बनाने, शामलात भूमि को चारागाह भूमि में परिवर्तित करने, उस पर से अतिक्रमण हटाने आदि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं सर्वोत्तम प्राथमिकता के कार्य हैं।

चारागाह भूमि पर घास के साथ-साथ चारा उत्पादक वृक्षारोपण जैसे खेजड़ी, बबूल, नीम, अरडू, बेर आदि लगाने से पशुओं के लिये चारे की पर्याप्त व्यवस्था हो सकेगी। इस हेतु इस निर्देशिका के माध्यम से राजस्थान के विभिन्न जिलों में पैदा होने वाले स्थानीय घास व चारा उत्पादक वृक्षों की जानकारी भी उपलब्ध कराई जा रही है।

साथ ही पौधारोपण हेतु नर्सरी लगाने एवं पौधारोपण करने की प्रक्रिया की सम्पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराई जाने का प्रयास भी किया गया है। इस पुस्तिका को तैयार करने हेतु सेवा मन्दिर, उदयपुर, फाउण्डेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी, भीलवाड़ा एवं बायफ संस्था उदयपुर के सन्दर्भ व्यक्तियों द्वारा सहयोग प्रदान किया गया।

चारागाह विकास हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से समय-समय पर जारी परिपत्रों को भी संलग्न किया जा रहा है। आशा है कि यह पुस्तिका सामुदायिक लाभ की परिसम्पत्तियों को सुरक्षित रखने व इनके विकास में लाभकारी सिद्ध होगी।

(सुरेन्द्र सिंह राठौड़)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
बायोफ्यूल प्राधिकरण
एवं सदस्य सचिव
राजस्थान बंजर भूमि विकास बोर्ड

प्रस्तावना

उद्देश्य : राजस्थान में पशुधन की बहुत उपयोगिता है। ग्रामीण क्षेत्र में 80 प्रतिशत से ज्यादा परिवार पशुपालन करते हैं। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में पशुपालन का योगदान लगभग 9.16 प्रतिशत है। छोटे और सीमांत किसान अपनी आय का लगभग 35 प्रतिशत डेयरी और पशुपालन से अर्जित करते हैं। शुष्क क्षेत्रों में तो पशुपालन का यह योगदान पचास प्रतिशत रहता है। अगर अन्य क्षेत्रों से तुलना की जाए तो पशुपालन का क्षेत्र ऐसा है, कि जिसमें बहुत कम निवेश के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की संभावना काफी रहती है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास में पशुधन के महत्त्व को देखते हुए चारागाह भूमि विकास के लिए महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत एक नई पहल की गई है। इस अधिनियम का लक्ष्य ग्रामीण इलाकों में मजदूरी के अवसर बढ़ाने के साथ स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण व पंचायतों की कार्य-प्रणाली को और अधिक लोकतांत्रिक बनाना है।

महात्मा गाँधी नरेगा के समग्र उद्देश्य के तहत इन कार्य-संबंधी निर्देशों का लक्ष्य निम्न कार्यों को सुनिश्चित करना है :-

1 चारागाह भूमि पर समुदाय के शासन को मजबूत बनाने के लिए ढाणी/ गाँव और पंचायत के स्तर पर सामुदायिक संस्थाओं को प्रोत्साहन देना।

2 समुदाय आधारित नियोजन तथा क्रियान्वयन को बढ़ावा देना।

3 आजीविका में सहायक, आर्थिक वृद्धि और समुदाय के समग्र विकास हेतु चारागाह भूमि की रक्षा और संरक्षण के उपाय करना।

4 यह सुनिश्चित करना कि समाज के सभी वर्गों- विशेष रूप से गरीब वर्ग के लोगों की चारागाह भूमि में पहुँच समान रूप से हो।

5 यह सुनिश्चित करना कि चारागाह भूमि का प्रयोग ऐसे टिकाऊ ढंग से किया जाए कि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके।

6 राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरण का संरक्षण तथा ग्राम स्तर पर पारिस्थितिक संतुलन का पुनरौद्धार।

मार्गदर्शन

सुरेन्द्र सिंह राठौड़ मुख्य कार्यकारी अधिकारी

संकलन एवं परिकल्पना

मनिन्दर जीत सिंह उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी

सहयोग

गणपत लाल शर्मा सलाहकार (कृषि)

बायोफ्यूल प्राधिकरण, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार

चारागाह एवं बंजर भूमि विकास हेतु सन्दर्भ पुस्तिका

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ संख्या
1.	चारागाह भूमि विकास कार्यों की प्रक्रिया	4
2.	चारागाह भूमि का निर्धारण	6
3.	महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत चारागाह विकास हेतु किये जाने वाले कार्य	14
4.	चारागाह विकास एवं बंजर भूमि विकास हेतु महात्मा गाँधी नरेगा अन्तर्गत प्रस्ताव तथा सहभागी प्लान	16
5.	चारागाह में पौधारोपण कार्य	19
6.	चारागाह में पैदा होने वाली स्थानीय घास	33
7.	चारागाह भूमि में चारा उत्पादक वृक्षों की जानकारी	37
8.	चारागाह व बंजर भूमि में बोये जाने वाले तैलीय वृक्षों की जानकारी	39
9.	चारागाह भूमि में फल उत्पादक वृक्षों की जानकारी	40
	संलग्नक –	
	1. महात्मा गाँधी नरेगा के तहत चारागाह विकास बाबत शासन आदेश	41
	2. शामलात भूमि पर से अतिक्रमण हटाने संबंधी शासन आदेश।	43
	3. महात्मा गाँधी नरेगा के तहत चारागाह भूमि विकास करने बाबत राज्य शासन आदेश	44
	4. महात्मा गाँधी नरेगा के तहत तिलहन प्रजातियों के वृक्षों बाबत् भारत सरकार का आदेश	45
	5. महात्मा गाँधी नरेगा के तहत तिलहन प्रजातियों के वृक्षों बाबत् राजस्थान सरकार का आदेश	46

अध्याय-1

चारागाह भूमि विकास कार्यों की प्रक्रिया

1. चारागाह भूमि विकास समिति का गठन

चारागाह भूमि के विकास कार्य की प्रक्रिया शुरू करने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा पंचायत स्तर पर 'विकास और उत्पादन कार्यक्रम' के लिए स्थायी समिति व ग्राम/ ढाणी के स्तर पर चारागाह भूमि विकास समिति का गठन होगा, साथ ही वार्ड सभा को सशक्त बनाने के लिए भी प्रयास किया जाएगा जिससे चारागाह भूमि के शासन संबंधित मुद्दों का निवारण किया जा सकेगा।

1.1. ''विकास और उत्पादन कार्यक्रम'' हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर स्थाई समिति का गठन : जैसा कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994, धारा 55 क में उल्लिखित किया गया है, प्रत्येक पंचायत 'विकास और उत्पादन कार्यक्रम' हेतु एक स्थाई समिति का गठन करेगी जिसमें कृषि, पशुपालन, लघु सिंचाई, सहकारी कुटीर उद्योग, चारागाह भूमि तथा अन्य संवद्ध विषय निहित होंगे। इस स्थाई समिति की भूमिका और जिम्मेदारियाँ निम्नवत् होंगी।

1.1.1. चारागाह विकास समिति, जल ग्रहण विकास समिति जैसी समितियों द्वारा प्राकृतिक संसाधन के प्रबंध हेतु बनाये गये विभिन्न योजनाओं का निष्पादन तथा योजना संबंधी सुधार के लिए सुझाव देना समिति योजनाओं के क्रियान्वयन एवम् कार्यक्रमों के बारे में पंचायत को सूचित करना।

1.1.2. नीति के क्रियान्वयन संबंधी मामले में किसी भी क्षेत्र विशेष का निरीक्षण।

1.1.3. विभिन्न पंचायतों के बीच प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण उपायों का प्रचार-प्रसार करना।

1.1.4. प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन हेतु उप विधियों के बारे में पंचायत को सलाह देना जिससे सामूहिक भूमि के लाभों का न्यायपूर्ण और निष्पक्ष संभव हो सके।

1.1.5. चारागाह भूमि के विषय में जागरूकता का प्रसार।

1.1.6. चारागाह भूमि के विकास के लिए कृषि व अन्य सरकारी विभागों से सहायता लेना।

1.1.7. महात्मा गाँधी नरेगा एवम् राजस्थान सरकार द्वारा समय-समय पर प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से जुड़े अन्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का निरीक्षण करना।

स्थाई समिति, ग्राम पंचायत की सीमा में आने वाली प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन से जुड़ी सभी समितियों जैसे- जल ग्रहण विकास समिति, चारागाह भूमि विकास समिति, जैव-विविधता समिति, लघु सिंचाई माध्यमों जैसे तालाबों आदि- से जुड़े विषयों पर कार्य करने वाली विभिन्न संस्थाओं के एक सम्मिलित केन्द्र के रूप में कार्य करेगी।

1.2 वार्ड सभा :

राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 धारा 12 (2) के अंतर्गत पंचायत के क्षेत्र को एकल सदस्य वार्ड में बाँटा गया है। पंचायत के प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड सभा होगी जिसका अपने क्षेत्र की चारागाह भूमि विकास के संबंध में निम्न उत्तरदायित्व होगा:

1.2.1. चारागाह भूमि विकास योजनाएँ बनाने के लिए अपेक्षित ब्यौरों के संग्रह और संकलन में पंचायत की सहायता करना।

1.2.2. गाँव की चारागाह भूमि पर सामुदायिक अधिकारों की पहचान करना।

1.2.3. चारागाह भूमि विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन को प्रभावी बनाने में सहायता करना।

1.2.4. चारागाह भूमि विकास समिति की योजनाओं का अनुमोदन करना।

1.2.5. वार्ड सभा में होने वाले समस्त कार्यों का सामाजिक लेखा परीक्षण करना तथा उक्त कार्यों से संबंधित प्रयोग व समापन प्रमाण पत्र देना।

1.2.6. चारागाह भूमि विकास समिति के कार्यकलापों की निगरानी करना।

1.3 चारागाह भूमि विकास समितियाँ :

राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 170 के अंतर्गत चारागाह भूमि के संचालन और विकास के लिए ग्राम स्तर

पर एक पांच सदस्यीय चारागाह भूमि विकास समिति की व्यवस्था की गई है। समिति का मुखिया वार्ड पंच होता है जबकि अन्य सदस्यों को ग्राम सभा के द्वारा चुना जाता है। ग्राम पंचायत को गाँव/ढाणी के स्तर पर चारागाह भूमि विकास समिति गठित करने का अधिकार होगा। चारागाह भूमि के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पाँच सदस्यों में संबंधित गाँव की दो महिला प्रतिनिधियों को चुना जाएगा। अगर वार्ड पंच ढाणी से संबंध नहीं रखता है, तो ऐसे में चारागाह भूमि विकास समिति का संयुक्त अध्यक्ष बनाया जाएगा जो उक्त ढाणी का निवासी हो।

चारागाह भूमि विकास समिति की भूमिका और जिम्मेदारियाँ निम्नवत् होंगी :

1.3.1. चारागाह भूमि के प्रबंधन व अभिशासन के संबंध में मानक एवम् प्रतिबंधों का विकास करना।

1.3.2. गाँव के लिए चारागाह भूमि के विकास एवम् प्रबंधन के बारे में योजनाएँ तैयार करना तथा उन्हें पंचायत की वार्षिक योजनाओं व परिप्रेक्ष्य से समायोजित करना।

1.3.3. चारागाह भूमि के विकास एवम् प्रबंधन संबंधी योजनाओं के निष्पादन में सहायता करना।

1.3.4. ग्राम पंचायतों द्वारा चारागाह भूमि के विकास के लिए महात्मा गाँधी नरेगा के अन्तर्गत जारी धनराशि का उपयोग करना।

1.3.5. चारागाह भूमि के विकास के बारे में ढाणी व आसपास की ढाणी में प्रचार प्रसार करना।

1.3.6. भूमि, जल तथा वनस्पति जैसे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए उक्त विधियाँ बनाने में ग्राम पंचायत के स्तर पर गठित विकास और उत्पादन कार्यक्रम के लिए स्थाई समिति की सहायता करना।

अध्याय-2

चारागाह भूमि का निर्धारण

2.1. चारागाह भूमि के निर्धारण की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :

2.1.1. चारागाह भूमि विकास समिति, गाँव के सामुदायिक चारागाह संबंधी अधिकारों के निर्धारण में वार्ड सभा की सहायता करेगी।

2.1.2. निषेधात्मक आदेश पुस्तिका (परिशिष्ठ-2) में सामूहिक भूमि पर लोगों के अधिकारों को पंजीकृत करने के लिए चारागाह भूमि विकास समिति, पंचायत स्तर पर विकास और उत्पादन कार्यक्रम के लिए गठित स्थाई समिति तथा वार्ड सभा के साथ मिलकर काम करेगी।

2.1.3. चारागाह भूमि की अनुपलब्धता अथवा अभाव की स्थिति में वार्ड सभा, राजस्थान काश्तकारी (सरकार) नियम, 1955, नियम 6 में वर्णित उपबंधों के अनुसार गाँव की पशु संख्या के आधार पर चारागाह भूमि की आवश्यकता का आंकलन करने में पंचायत की सहायता करेगी।[1]

2.1.4. पशुओं की संख्या व पशु जनसंख्या गणना की नवीनतम सूचना के आधार पर पंचायत राजस्थान काश्तकारी (सरकार) अधिनियम 1955 के नियम 6 और राजस्थान राज्य राजस्व भूमि अधिनयम 1956 की धारा 92 के अंतर्गत जिला कलक्टर से यह प्रार्थना कर सकती है कि उसे काश्त की अन्य श्रेणियों से चारागाह भूमि प्रदान की जाए तथा उसे उक्त भूमि के बेहतर प्रबंधन का अधिकार सौंपा जाए।

2.1.5. चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के मामले में गाँव की चारागाह भूमि विकास समिति, अतिक्रमण की शिनाख्त करने में पंचायत की सहायता करेगी। संबंधित ग्राम पंचायत, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165 (5) अंतर्गत तहसीलदार को अतिक्रमण हटाने के बारे में लिखेगी। अगर पंचायत की प्रार्थना पर उचित कार्रवाई नहीं की जाती है, तो यह मामला सीधे जिला कलक्टर के समक्ष रखा जा सकता है।

2.2. क्षमता विकास

महात्मा गाँधी नरेगा, सामुदायिक अधिकारों पर आधारित अपने ढ़ाँचे व ग्राम स्तर पर स्थायी संपत्तियों के निर्माण को प्राथमिकता दिए जाने के कारण ग्रामीण बेरोजगारी, खाद्य सुरक्षा तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्तिकरण आदि चुनौतियों का सामना करने में पूर्ण रूप से सक्षम है, परन्तु इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि मानवीय क्षमताओं के विकास को प्राथमिकता दी जाए। क्षमता विकास की यह प्रक्रिया, एक ऐसी सक्रिय प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें मानकों व नियमों, तथा कार्यकारी नियमों के साथ-साथ उन सभी योग्यताओं व प्रतिभाओं के विकास, सशक्तिकरण व उनको संस्थागत करने में सक्षम होनी चाहिए जो व्यक्तियों व समुदायों के अस्तित्व व उनकी प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक है।

2.2.1. चारागाह भूमि विकास तथा विकेन्द्रित शासन के संबंध में क्षमता विकास के लिए, राज्य व जिला स्तरीय महात्मा गाँधी नरेगा अनुभाग ग्राम पंचायत स्तर पर एक विशेष दल का गठन करेगा।

2.2.2. राजस्थान ग्रामीण विकास संस्थान (इन्दिरा गाँधी पंचायती राज संस्थान) चारागाह भूमि विकास तथा विकेन्द्रित शासन के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के साथ-साथ उन कार्यक्रमों के लिए नया पाठ्यक्रम भी बनाएगा।

2.2.3. चारागाह भूमि के शासन से संबंधित वैधानिक प्रावधानों के प्रति स्थानीय समुदायों की क्षमता का विकास किया जाएगा तथा चारागाह भूमि की पहचान, प्रबंधन तथा विकास के लिए भी मदद की जाएगी।

सामुदायिक सदस्यों व प्रतिनिधियों की पहचान की जाएगी, तथा सामूहिक योजना व सोशल ऑडिट् के संदर्भ में समुदायों की उपयुक्त मदद के लिए क्षमता का विकास किया जाएगा। ग्राम पंचायत में उपस्थित पैरा-विशेषज्ञों के इस प्रकार के दल, चारागाह

राजस्थान काश्तकारी (सरकार) अधिनियम, 1955 के नियम 6 के अंतर्गत, प्रति पशु इकाई के लिए आधार बीघा चारागाह भूमि का प्रावधान किया गया है, जिसका आधार राजस्थान सरकार की पशु गणना को माना गया है। इसके अंतर्गत पशु इकाइयों का आंकलन निम्नवत् है: एक गाय= एक पशु इकाई, एक भैंस = दो पशु इकाई, एक बकरी = 0.25 पशु इकाई, एक भेंड़ = 1.25 पशु इकाई के समकक्ष मानी जाती है।

भूमि विकास के लिए विकेन्द्रित योजना निर्माण तथा सामुदायिक सोशल ऑडिट् के क्रियान्वयन में प्रमुख भूमिका निभाएंगे।

ग्राम पंचायत चारागाह भूमि विकास के लिए तकनीकी सहायता दल के साथ मिलकर काम करेगी। इस दल में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे जिन्हें सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संस्थाओं, शिक्षा के क्षेत्र, समाज से तथा व्यक्ति विशेष के रूप में आमंत्रित किया जाएगा। चारागाह भूमि विकास समितियों के कार्यों में मदद के लिए गाँव में रहने वाले सेवानिवृत्त राजकीय कार्मिकों की भी मदद ली जा सकती है।

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रक्रियाओं की योजना व उनके निरीक्षण में सुधार के लिए जी.आई.एस. डाटाबेस के निर्माण व अध्ययन तथा आँकड़ों के बेहतर संग्रह के लिए, स्थानीय स्तर पर तकनीकी क्षमताओं का विकास किया जाएगा। चारागाह भूमि विकास से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न स्तरों पर क्षमता के विकास के लिए परिशिष्ट-1 में दी गई तकनीकी पुस्तक के प्रारूप का प्रयोग किया जाएगा।

ग्राम पंचायत के सदस्यों को उनकी भूमिका तथा उनके उत्तरदायित्व के बारे में जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा।

ग्राम पंचायत के सदस्यों को उनकी भूमिका तथा उनके उत्तरदायित्व के बारे में जानकारी देने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा।

स्थानीय स्वप्रशासन संस्थाओं के रूप में ग्राम पंचायतों को विकसित करने के उद्देश्य से सफल ग्राम पंचायतों के यहाँ प्रदर्शन यात्राओं का भी आयोजन किया जाएगा।

2.2. योजना व कार्यों का निष्पादन :

चारागाह भूमि विकास समिति, किसी ढाणी/ ग्राम में चारागाह भूमि विकास हेतु योजना बनाने के लिए ढाणी/ ग्राम सतरीय बैठकों का आयोजन करेगी। इन योजनाओं में चारागाह भूमि विकास कार्यों के लिए प्रस्तावित क्षेत्र, पेड़ व घास की प्रजातियों का विवरण सम्मिलित होगा।

प्रजातियों के विवरण तथा चारागाह भूमि के प्रबंधन के अंतर्गत, अन्य प्राकृतिक आजीविका आवश्यकताओं जैसे जलाने के लिए लकड़ी, गैर इमारती वन उत्पाद, छोटी इमारती लकड़ी इत्यादि तथा अन्य आवश्यक पारिस्थितिक भूमिकाओं जैसे जैवविविधता, तालाब, आर्द्रभूमि आदि का भी विवरण सम्मिलित होगा।

2.2.1. वार्ड सभा, चारागाह भूमि विकास समिति की योजनाओं का अनुमोदन करेगी। वार्ड सदस्य जो चारागाह भूमि विकास समिति का अध्यक्ष भी होता है, ग्राम पंचायत को इसकी संस्तुति करेगा। यह प्रक्रिया 15 अगस्त तक पूर्ण हो जानी चाहिए।

2.2.2. ग्राम पंचायत, संबंधित पंचायत समिति के तकनीकी व्यक्ति से मदद ले कर प्रस्तावित चारागाह भूमि पर विकास कार्यों के लिए तकनीकी योजना तैयार करेगा।

2.2.3. ग्राम पंचायत, उन गैर सरकारी संस्थाओं के योग्य तकनीकी अधिकारियों की भी मदद ले सकती है, जिन्हें महात्मा गाँधी नरेगा के क्रियान्वयन के लिए चिह्नित किया गया है। तकनीकी व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में प्रस्तावित क्षेत्र के निरीक्षण के लिए चारागाह भूमि के जी.पी.एस. चिह्न के विवरण को सुरक्षित रखा जाए।

2.2.4. पंचायत स्तर पर गठित विकास व उत्पादन कार्यक्रमों के लिए स्थायी समिति, ग्राम स्तरीय चारागाह भूमि विकास योजना को सुदृढ़ करेगी तथा उनको ग्राम पंचायत की महात्मा गाँधी नरेगा वार्षिक योजना में सम्मिलित करना सुनिश्चित करेगी। यह प्रक्रिया 31 अगस्त तक पूर्ण हो जानी चाहिए।

2.2.5. ग्राम पंचायत, पंचायत की वार्षिक योजनाओं को पंचायत समिति की योजनाओं में सम्मिलित कराने के लिए पंचायत समिति के पास भेजेगी जिसके पश्चात् जिला परिषद उसका अनुमोदन करेगी। यह प्रक्रिया 15 अक्टूबर तक पूर्ण हो जानी चाहिए।

2.2.6. चारागाह भूमि विकास समिति यह सुनिश्चित करेगी कि कार्यों का निष्पादन योजना के अनुसार व समयबद्ध रूप से हो रहा है। चारागाह भूमि विकास के लिए तकनीकी पुस्तक, परिशिष्ट-1 में दी गई है, जो कार्यों के सहज क्रियान्वयन में समिति की मदद करेगी।

स्मरण रखने योग्य तथ्य :

- ग्राम पंचायत को सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्तावित चारागाह भूमि का सीमांकन ग्राम पटवारी द्वारा चारागाह भूमि विकास समिति की उपस्थिति में किया जाए।
- क्षेत्र के सीमांकन के पश्चात्, सीमांकित भूमि को चारागाह भूमि विकास समिति को हस्तांतरित करना होगा, जिससे उस भूमि पर पेड़ काटने व अतिक्रमण को रोकने के लिए सामाजिक बाड़बंदी की जा सके।
- चारागाह भूमि की सुरक्षा बाड़बंदी मज़बूत होनी चाहिए तथा आवश्यकतानुसार मवेशी प्रतिरोधक बाड़बंदी अथवा पत्थर की बाड़बंदी के प्रयोग से मज़बूत की जानी चाहिए।
- जिला परिषद द्वारा स्वीकृत रेट के आधार पर बनना चाहिए।
- स्तावित पेड़ व घास की प्रजातियों का चुनाव, समुदायों के साथ परामर्श व क्षेत्र की तकनीकी व्यवहार्यता के आधार पर होना चाहिए।
- कार्य का प्रारम्भ, जिला परिषद की प्रशासनिक व आर्थिक स्वीकृति के आधार पर होना चाहिए।
- तकनीकी पुस्तकों में निर्धारित सभी आवश्यक दस्तावेज, ग्राम पंचायत के पास सुरक्षित रखे जाएंगे।

2.3 निरीक्षण व सोशल ऑडिट :

चारागाह भूमि के विकास व प्रबंधन के लिए निरीक्षण की व्यवस्था चार स्तर पर की जाएगी–

2.3.1. **प्रथम स्तर**– क्षेत्र का स्थानीय समुदायों व चारागाह भूमि विकास समिति द्वारा स्वत: निरीक्षण।

2.3.2. **द्वितीय स्तर**– पंचायत समिति अथवा गैर सरकारी संस्थाओं के तकनीकी अधिकारियों के साथ, विकास व उत्पादन कार्यक्रमों के लिए स्थायी समिति के सदस्यों द्वारा क्षेत्र का अवलोकन।

2.3.3. **तृतीय स्तर**– चारागाह भूमि विकास का निरीक्षण सुदूर संवेदन प्रणाली (रिमोट सेंसिग) के द्वारा किया जाएगा।

2.3.4. **चतुर्थ स्तर** – विकास व उत्पादन कार्यक्रमों के लिए गठित स्थायी समिति, वार्ड सभा द्वारा धारा 7 (झ) राज. पंचायतीराज अधिनियम, 1994 अनुसार सोशल ऑडिट के माध्यम से चारागाह भूमि के विकास व प्रबंधन का निरीक्षण कराना सुनिश्चित करेगी, जिसके माध्यम से व्यवस्था में पारदर्शिता तथा गरीब मवेशी पालकों के लिए संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित की जा सकेगी।

गतिविधि मानचित्रण मैट्रिक्स

गतिविधियों का ब्यौरा	पंचायती राज संस्थाएँ						
	चारागाह विकास समिति (ग्राम/ढाणी स्तर पर)	वार्ड सभा	ग्राम पंचायत (विकास और उत्पादन कार्यक्रम के लिए)	पंचायत समिति	जिला परिषद्	जिला प्रशासन (तहसीलदार से जिला कलेक्टर तक)	राज्य
सुरक्षित चारागाह भूमि	गाँव में समुदाय के चराई अधिकार की पहचान करना	चारागाह भूमि पर समुदाय के दावों का संकल और जाँच करना और ग्राम पंचायत को अपनी अभिशंसा के साथ प्रस्ताव भेजना	अनुकूल वातावरण का निर्माण जहाँ लोग अपने सामुदायिक चराई अधिकार व्यक्त कर सकते हैं			ग्राम पंचायत के साथ परामर्श कर चारागाह भूमि पर लोगों के दावों पर रिपोर्ट तैयार कर जिला कलेक्टर को ग्रामसभा के प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत करना (तहसीलदार, SDO)	चारागाह भूमि से संबंधित कानूनों की नियमित रूप से समीक्षा करना और चारागाह भूमि का विकास और गरीब व पिछड़े वर्ग के लोगों को सक्षम बनाने हेतु चारागाह भूमि पर उनके दावे और अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए कानून में संशोधन के लिए सुझाव देना
			चारागाह भूमि पर दावों की वास्तविकता पता लगाने के लिए वार्ड सभा के प्रस्तावों को संकलित और जाँच करना			चारागाह भूमि पर लोगों के अधीकारों को निषेधात्मक आदेश पुस्तिका (POB) में पंजीकरण करने के लिए तहसीलदार और SDO को आदेश जारी करना (जिला कलेक्टर)	पंचायती राज संस्थाओं द्वारा चारागाह भूमि के प्रबंधन और शासन के लिए राज्य में अनुकूल नीतिगत माहौल बनाना
			सार्वजनिक भूमि पर लोगों के अधिकारों का POB में पंजीकररण सुनिश्चित करना	POB की निगरानी और अद्यतन नियमित रूप से सुनिश्चित करना	POB की निगरानी और अद्यतन जिले स्तर पर नियमित रूप से सुनिश्चित करना	POB की नियमित अद्यतन और निगरानी (तहसीलदार)	
						भूमि रिकार्ड का प्रतिवर्ष अद्यतन (तहसीलदार)	
						वार्षिक आधार पर प्रमाणित करना की भूमि वर्गीकरण में कोई बदलाव नहीं हुआ है और भूमि रिकार्ड POB के अनुरूप हैं (तहसीलदार)	

			चारागाह भूमि का अभाव/कमी के मामले में गाँवों में चारागाह भूमि की आवश्यकता का आंकलन	ग्राम सभा के प्रस्तावों से व्यथित लोगों की शिकायतों को संबोधित करना		पंचायत समिति के निर्णयों से व्यथित लोगों की शिकायतों को संबोधित करना (SDO/ जिला कलेक्टर)	
		चारागाह भूमि की कमी/अभाव की स्थिति में गाँव में चारागाह भूमि की आवश्यकता का आंकलन करने में ग्राम पंचायत में स्थायी समिति की सहायता करना	बंजर भूमि को चारागाह भूमि में परिवर्तित करने के लिए जिला कलेक्टर को अर्जी देना			पशु इकाई और पशुधन जनगणना के नीवनतम जानकारी के आधार पर बंजर भूमि राजस्व की चारागाह भूमि में परवर्तित करने के लिए आदेश जारी करना और ग्राम पंचायत के अधीन करना (जिला कलेक्टर)	
	गाँव की चारागाह भूमि पर अतिक्रमण की पहचान करने में पंचायत की सहायता करना		अतिक्रमण की बेदखली के लिए तहसीलदार को अर्जी देना और गैर अनुपालन के मामले में जिला कलेक्टर के समक्ष मामला रखना			चारागाह भूमि के अतिक्रमण का निष्कासन सुनिश्चित करना (तहसीलदार/ जिला कलेक्टर)	
क्षमता निर्माण	चारागाह भूमि के पहचान, प्रबंधन, और विकास के लिए समुदाय के सदस्यों/ नेताओं की पहचान करना जिससे उनका क्षमता वर्धन किया जा सके		चारागाह भूमि के विकास के लिए तकनीकी सहायता समूह के साथ काम करना	चारागाह भूमि विकास और विकेन्द्रीकृत शासन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना	चारागाह भूमि विकास के मुद्दों पर क्षमता वर्धन के लिए पंचायत स्तर पर एक विशेषज्ञ समूह बनाना		तकनीकी सहायता और गुणवत्ता नियंत्रण उपायों के लिए पेशेवर एजेंसियों के एक नेटवर्क की स्थापना
			सहभागितापूर्ण योजना निर्माण और सामाजिक अंकेक्षण को आसान करने के लिए समुदाय के सदस्यों/नेताओं को पहचानाना और उनकी क्षमताओं को बढ़ाना		ग्राम पंचायत के क्षमता वर्धन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना		पंचायती राज कार्यकर्ताओं के लिए IGPRS/SIRD के साथ पाठ्यक्रम तैयार करना

			समुदाय के सदस्यों की तकनीकी क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना				
	चारागाह भूमि विकास की योजना बनाने के लिये ढाणी/ ग्राम स्तर पर सभा आयोजित करना	चारागाह भूमि विकास योजना तैयार करने के लिए आवश्यक जानकारी को संग्रहित और संकलित करने में ग्राम पंचायत की सहायत करना	सुनिश्चित करना कि प्रस्तावित चारागाह भूमि विकास के लिए क्षेत्र की हदबंदी गाँव के पटवारी द्वारा चारागाह भूमि विकास समिति की उपस्थिति में की गई है	चारागाह भूमि विकास तकनीकी योजनाओं को अंतिम रूप देने के लिए तकनीकी व्यक्ति की सहायता लेना	जिला योजना एवं बजट को अंतिम रूप देना	पंचायत समिति की योजनाओं को एक जिला योजना में संग्रहित करना	सुनिश्चित करना कि कार्यान्वयन के लिए समर्पित कर्मी हैं
	चारागाह भूमि विकास के लिए क्षेत्र की हदबंदी करना	चारागाह भूमि विकास समिति की योजना की पुष्टि और ग्राम पंचायत को अभिशंसित करना	गाँव स्तर चारागाह भूमि विकास योजनाओं को संग्रहित करना	पंचायत की वार्षिक योजना को पंचायत समिति की योजनाओं में शामिल करना और जिला परिषद् के समक्ष रखना		सुनिश्चत करना कि परियोजनाओं को प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति समय पर दी गई है	यह सुनिश्चित करना कि राज्य सरकार के हिस्से का MGNREGS बजट समय पर जारी किया जावे
	चारागाह भूमि पर प्रबंधन और शासन के लिए नियमों और प्रतिबंधों को विकसित करना	योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन में सहायता प्रदान करना	MGNREGA कार्यान्वयन के लिए पैनल में शामिल गैर सरकार संगठनों के योग्य तकनीकी अधिकारियों से समर्थन की मांग	योजनाओं का जिला परिषद् को समय पर जमा करना सुनिश्चित करें		कार्य के लिये समय पर पूंजी उपलब्ध करवाना और समायोजन लेना	
	पेड़ कटाई और अतिक्रमण के खिलाफ सामाजिक बाड़ लगाने की प्रक्रिया की शुरुआत		चारागाह भूमि के विकास के लिए सरकारी कर्मचारियों से समर्थन की मांग	पंचायत समित में चारागाह भूमि विकास योजना का समन्वयन, क्रियान्वयन करना	जिले के भीतर चारागाह भूमि विकास योजना के निष्पादन की निगरानी		

योजना और चारागाह भूमि विकास कार्यों के निष्पादन	पेड़ और घास की प्रजातियों का चयन		चारागाह भूमि विकास के लिए तकनीकी योजना अंतिम रूप देना				
	सुनिश्चित करना कि कार्य का निष्पादन तय योजना के अनुसार है और समय पर किया जा रहा है		पेड़ और घास की प्रजातियों के चयन में चारागाह भूमि विकास समितियों की सहायता करना				
			सुनिश्चित करना कि चारागाह भूमि विकास योजना पंचायत वार्षिक योजना में शामिल है और यह पंचायत समिति की योजना में शामिल करने के लिए भेजी गई है				
			भूमि, जल और वनस्पति के प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ठ उप विधियों का निर्धारण करना				
			तकनीकी मैनुअलों में निर्धारित सभी आवश्यक दस्तावेजों के रखना				
			चारागाह भूमि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की देखरेख				
निगरानी और सामाजिक अंकेक्षण	स्थानीय समुदाय के साथ स्वयं के स्तर पर निगरानी	चारागाह भूमि विकास समिति के कामकाज की निगरानी	कार्य स्तर पर समीक्षा	कार्य स्तर पर समीक्षा के लिए तकनीकी अधिकारियों की सहायता लेना	चारागाह भूमि विकास के लिए MGNREGA के तहत दी निधियों के उपयोग के संबंध में शिकायत, यदि कोई हो, तो पूछताछ करना	मासिक प्रगति रिपोर्ट देना	कार्यान्वयन पर वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर राज्य विधान सभा को प्रस्तुत करना

			MGNREGA तहत चारागाह भूमि विकास के लिए धन के उपयोग के समुचित रिकार्ड बनाना	चारागाह भूमि विकास के संबंध में ग्राम पंचायतों द्वारा MGNREGA के तहत क्रियान्वित योजनाओं के खातों को सत्यापित करना और जिला परिषद् को रिपोर्ट प्रस्तुत करना	जिले के भीतर समस्त चारागाह भूमि विकास योजना की निगरानी		चारागाह भूमि विकास की निगरानी के लिए रिमोट सेंसिंग एजेंसी के समर्थन की मांग
		वार्ड सभा के क्षेत्र में क्रियान्वित किए गए सभी संकर्मों की सामाजिक संपरीक्षा करना और ऐसे संकर्मों के लिए उपयोजन और पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान करना	मौजूदा प्रावधानों के रूप में MGNREGA तकनीकी दिशा निर्देशों, 2010 और राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994, में विस्तृत वार्ड सभा द्वारा सभी कार्यों की निगरानी और सामाजिक अंकेक्षण की जिम्मेदारी सुनिश्चित कराना				प्रक्रियाओं और परिणामों की नियमित समीक्षा, निगरानी और मूल्यांकन
			व्यवस्था में पारदर्शिता और गरीब पशुधन रखने वाले के लिए पहुँच सुनिश्चित करना				चारागाह भूमि विकास के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा किया गया अनुकरणीय कार्य के प्रदर्शन के लिए दस्तावेजीकरण (documentation) की प्रक्रिया आरंभ करना
							सभी स्तरों पर पारदर्शिता सुनिश्चित करना

अध्याय-3

महात्मा गाँधी नरेगा अन्तर्गत चारागाह विकास हेतु किये जाने वाले कार्य

3.1 चारागाह विकास हेतु महात्मा गाँधी नरेगा अन्तर्गत निम्न कार्य किए जा सकते हैं

प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन आधारित समुदाय कार्य/ सार्वजनिक कार्य

3.1.1. जल संरक्षण संरचनाएं (Water Harvesting Structures)-

चेक डेम, अर्दन डेम, स्टॉप डेम, भूमिगत डाइक

3.1.2. जलग्रहण प्रवर्धन -

(1) कन्टूर ट्रेन्च (2) टेरेसिंग (3) कन्टूर बन्ड
(4) बोल्डर चैक डेम (5) गेबियन स्ट्रक्चर

3.1.3. सूक्ष्म एवं छोटे सिंचाई संरचना कार्य

(अ) सूक्ष्म एवं छोटे सिंचाई संरचना निर्माण कार्य
(ब) सूक्ष्म एवं छोटे सिंचाई संरचना नव निर्माण, देखरेख आदि

3.1.4. परम्परागत जल स्त्रोत व पुनर्जीवीकरण (Renovation) करना-

सिंचाई टेंक तथा जल स्त्रोत की डिसिल्टींग

3.1.5. वनीकरण (जंगल लगाना) (Afforestation) करना

(अ) शामलात भूमि पर पौधारोपण एवं उद्यानिकी कार्य
(ब) सड़क किनारे, केनाल बैड, तटीय किनारे पर पौधारोपण कार्य करना

3.1.6. शामलात भूमि पर भूमि विकास कार्य अथवा चारागाह विकास कार्य करना

3.2 चारागाह विकास सम्बन्धी कार्यों का वर्षवार चयन

विकास सम्बन्धीत कामों का वर्षवार चयन निम्नानुसार कर सकते हैं-

3.2.1 पहले साल में निम्न काम प्रस्तावित किए जा सकते हैं।

अ. चारागाह सुरक्षा सम्बन्धीत कार्य-
1. पशु रोधक खाई Cattle Proof Trench (CPT)
2. पत्थर दीवार Stone Wall
3. थोर फैन्सिंग Vegetative Fencing
4. चारागाह के चारों तरफ मेड़बन्दी Bunds
5. चारागाह के चारों तरफ तारबन्दी Wire Fencing

ब. चारागाह में मिट्टी व जल संरक्षण के कार्य (पहले साल मिट्टी व पानी को रोकना चारागाह भूमि में अत्यन्त आवश्यक है, नहीं तो पेड़-पौधे या घास बिना पानी/ नमी के मर जाएंगे) -
1. कन्टूर ट्रेन्च Contour Trench (CT)
2. स्टैगर्ड ट्रेन्च Staggered Trenches
3. कन्टूर मेड़बन्दी Contour Bunds
4. गैबियन Gabion Structure
5. नाला बंधान/ उपचार Nala Bund or Treatment

6. गली प्लग Gully Plug
7. चैकडैम Loose Boulder Checkdam
8. मिट्टी का चैकडैम Earthen Checkdam
9. नाड़ी Nadi
10. पानी सोखने वाले गड्ढ़े Water Harvesting Pits
11. टपकन टैंक Percolation Tank
12. एनिकट Anicut
13. भूमिगत डाइक Dyke
14. तलाब निर्माण Pond Construction
15. तलाब सुदृढ़ीकरण Pond Renovation
16. अन्य कार्य

स. चारागाह के बाहर शामलात व अन्य भूमियों पर जल संसाधन विकास कार्य प्रस्तावित कर सकते हैं, जैसे –

1. उपर्युक्त सभी कार्य
2. तालाब/ बावड़ी/ एनिकट/ नाड़ी गहरी Deepening/ Desilting Work
3. तालाब/ बावड़ी/ एनिकट/ नाड़ी की मरम्मत व रखरखाव Maintenance & Repair Works
4. अन्य

3.2.2. दूसरे साल में निम्न काम प्रस्तावित किए जा सकते हैं

अ. चारागाह में वनस्पति उगाने व संरक्षित करने वाले कार्य–

1. प्लान्टेशन/ वृक्षारोपण साधारण मिट्टी में Plantation in Normal Soil
2. प्लान्टेशन/ वृक्षारोपण पथरीली मिट्टी में Plantation in Rocky Soil
3. घास बीज बोना Grass Seeding
4. वृक्षारोपण तारबन्दी Plantation Wire Fencing
5. वृक्षों का रखरखाव Plantation Maintenance
6. नर्सरी उगाना Nursery Raising

ब. चारागाह सुरक्षा सम्बन्धि कार्य –

1. पशु रोधक खाई Cattle Proof Trench (CPT)
2. पत्थर दीवार Stone Wall
3. थोर फैन्सिंग Vegetative Fencing
4. चारागाह के चारों तरफ मेड़बन्दी Bunds
5. चारागाह के चारों तरफ तारबन्दी Wire Fencing

अध्याय-4

चारागाह विकास एवं बंजर भूमि विकास हेतु महात्मा गाँधी नरेगा अन्तर्गत प्रस्ताव तथा सहभागी प्लान

शामलात भूमियों एवं बंजर भूमियों की पहचान करके, सीमांकन कराकर और उनके दीर्घकालीन संरक्षण की व्यवस्था बनाकर उन भूमियों पर प्राकृतिक संसाधन विकास कार्यों की प्लानिंग करनी चाहिए। भूमियों की पहचान करके भी प्लानिंग के काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ-साथ सीमांकन और संरक्षण व्यवस्था करने का काम चलाया जा सकता है।

अब प्रमुख सवाल यह है कि महात्मा गाँधी नरेगा कार्यक्रम के तहत चारागाह/ चरनोट/ ओरण तालाब/ बिलानाम आदि भूमियों पर विकास कार्यों की बेहतर प्लानिंग करके उन कार्यों का उत्तम क्रियान्वयन कैसे करें? यह प्रक्रिया नीचे लिखे विभिन्न चरणों में उल्लेखित की गई है:

4.1 महात्मा गाँधी नरेगा की प्रारम्भिक समझ विकसित करना

इस प्रशिक्षण पुस्तिका के पाठ-1 में महात्मा गाँधी नरेगा की प्रारम्भिक जानकारियाँ दी गई है और उसके सेक्शन 1.4 में महात्मा गाँधी नरेगा गतिविधियों की चारों प्रमुख श्रेणियों को दर्ज किया गया है। श्रेणी 'ए' में सभी गतिविधियाँ/ कार्य प्राकृतिक संसाधनों के विकास पर आधारित है जिन्हें सामुहिक/सामुदायिक (शामलात) भूमियों पर किया जाना अपेक्षित है इसी तरह श्रेणी 'बी' में दिये गये कार्यों को व्यक्तिगत तौर पर किया जा सकता है। यह गतिविधियाँ आजीविका विकास को ध्यान में रखकर प्रस्तावित की गई है। इसमें एक महत्त्वपूर्ण गतिविधि है (3) पड़त और ऊसर भूमि का विकास करना। मकसद यह है कि महात्मा गाँधी नरेगा की चारों श्रेणियों की गतिविधियों को ध्यान में रखकर ही महात्मा गाँधी नरेगा की सहभागी प्लानिंग करना अनिवार्य है।

4.2 महात्मा गाँधी नरेगा अन्तर्गत सघन सहभागी नियोजन प्रक्रिया (Intensive Participatory Planning Execrise)

सघन सहभागी नियोजन को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पहली बार 2014 में महात्मा गाँधी नरेगा अन्तर्गत कुछ विकासखण्डों में लागू कर दी जायेगी। सघन सहभागी नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए गाँववासियों को महात्मा गाँधी नरेगा प्लानिंग में अनिवार्य रूप से शामिल करना होता है। पी.आर.ए. तकनीक का इस्तेमाल करके ग्रामीणों के साथ सामूहिक तौर पर तथा प्रत्येक परिवार की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए शेल्फ ऑफ एक्टिविटीज (Self of Activities) बनानी होती है। साथ ही श्रम बजट (Labour budget) की गणना भी सहभागी तरीके से करनी होती है। अत: एक बेहतर व सहभागी प्लानिंग इस प्रकार सम्भव हो पाती है। गाँव वार सहभागी प्लान बनने के पश्चात् उनका विशिष्ट ग्राम सभा आयोजित करके अनुमोदन करना होता है और ग्राम सभा बैठक कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज करवाया जाता है।

सघन सहभागी नियोजन प्रक्रिया को सीखने हेतु महात्मा गाँधी नरेगा की बेबसाईट को पढ़ें या अन्य स्त्रोतों से जानकारियाँ एकत्रित करें।

4.3 महात्मा गाँधी नरेगा विशिष्ट ग्राम सभा आयोजन हेतु सरकारी आदेश

हर राज्य में अनिवार्य ग्राम सभा आयोजन की संख्या अलग-अलग निर्धारित है। राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अध्याय-2अ में सेक्शन 82 (2) के अनुसार वर्ष में 2 ग्राम सभा बैठकों का होना अनिवार्य है जो कि वित्तीय वर्ष की पहली एवं अन्तिम तिमाही में आयोजित होनी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त महात्मा गाँधी नरेगा योजना निर्माण एवं श्रम बजट की खातिर एक

विशिष्ट ग्राम सभा बैठक का आयोजन 15 अगस्त के आस-पास होना जरूरी है।

4.4 विशिष्ट ग्राम सभा का आयोजन एवं प्रस्ताव पारित करवाना

ऐसा देखा गया है कि ब्लॉक स्तर से आदेश जारी होने पर भी कई ग्राम पंचायतों के सरपंच या सचिव लोगों को ग्राम सभा आयोजन की तय तारीख का पता नहीं होता है। कई बार उनको आदेश की प्रति ही प्राप्त नहीं हो पाती है। अत: हमारी जिम्मेदारी बनती है कि विशिष्ट ग्राम सभाओं के आयोजन में मदद करें। ज्यादा जरूरी है कि गाँवों के अधिकतम लोग ग्राम सभा बैठक में उपस्थित हों और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करें।

महत्त्वपूर्ण बात है कि चारागाह/ चरनोट/ ओरण/ तालाब/ बिलानाम आदि भूमियों के विकास हेतु महात्मा गाँधी नरेगा अन्तर्गत कार्यों को ग्राम सभा के प्रस्ताव में जुड़वाया जाये ताकि वह कार्य पंचायत समिति के एक्शन प्लान में जुड़ सके। ग्राम सभा बैठक में ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावों के कार्यवाही रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा। बाद में ग्राम सभा प्रस्ताव की एक प्रति रजिस्टर में फोटोकॉपी करवाकर प्राप्त करें।

4.5 प्रस्तावित कार्यों की सूची तैयार करना एवं एक्शन प्लान में जुड़वाना

ग्राम सभा प्रस्ताव के अनुसार चारागाह/ चरनोट/ ओरण/ बिलानाम भूमियों पर प्राकृतिक संसाधनों (जल सहित) को विकसित करने सम्बन्धित जिन कार्यों को प्रस्तावित किया गया है उनकी एक सूची बनाकर पंचायत समिति को जमा करना चाहिए। यह सूची कार्यक्रम एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति को जमा करावें और फिर उसका फोलो-अप भी करें। पत्र की प्रति पंचायत समिति प्रधान तथा सहायक अभियन्ता नरेगा को भी भेजें।

4.6 पंचायत समिति एक्शन प्लान एवं उसका अनुमोदन

एक निर्धारित तारीख तक जिन ग्राम पंचायतों के प्रस्ताव पंचायत समिति तक पहुँच जाते हैं उनके अनुमोदन तथा प्रशासनिक स्वीकृति हेतु पंचायत समिति स्थित महात्मा गाँधी नरेगा प्रकोष्ठ एक व्यवस्थित कार्य योजना (एक्शन प्लान) तैयार करता है।

यह एक्शन प्लान बहुत सारे पन्नों का एक व्यवस्थित दस्तावेज होता है और इसे पंचायत समिति की आम सभा में अनुमोदन करवाकर जिला परिषद को प्रेषित किया जाता है। तयशुदा कार्यक्रम के तहत जिला परिषद सभी पंचायत समितियों के एक्शन प्लान को अनुमोदित करती है।

4.7 एक्शन प्लान की प्रशासनिक, तकनीकी एवं वित्तीय स्वीकृति

उपर्युक्त पश्चात जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गाँधी नरेगा अर्थात् जिला कलेक्टर कार्यालय से महात्मा गाँधी नरेगा एक्शन प्लान की प्रशासनिक स्वीकृति जारी होती है। तत्पश्चात पंचायत समिति के सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ तकनीकी सहायकों (JTks) द्वारा प्रत्येक प्रस्तावित कार्य के तकनीकी विवरण बनाये जाते हैं और तकनीकी स्वीकृति बनाकर उसका अनुमोदन करवाकर जिला परिषद को पुन: प्रेषित किया जाता है।

4.8 महात्मा गाँधी नरेगा अन्तर्गत उत्तम क्रियान्वयन हेतु प्रयास

यह चरण अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है मगर काफी मशक्कत वाला भी है। शामलात भूमियों व बंजर भूमियों पर प्राकृतिक संसाधनों के विकास हेतु स्वीकृत कार्यों को सुचारू व बेहतर तरीके से अंजाम देने हेतु महात्मा गाँधी नरेगा फेसिलिटेशन टीम की अपनी रणनीति अलग-अलग हो सकती है। उत्तम क्रियान्वयन हेतु क्या-क्या किया जा सकता है, अधिक से अधिक चिन्तन करें और जमीन पर उन रणनीतियों को उतारने का प्रयास करें।

फिर भी एक अति महत्त्वपूर्ण पहलू है महात्मा गाँधी नरेगा में जॉब डिमाण्ड पैदा करना। इस बाबत महात्मा गाँधी नरेगा मेट, चारागाह विकास समिति सदस्यों, गाँव के वॉलिटियर आदि संदर्भ व्यक्तियों के मार्फत वार्ड स्तर पर फार्म-6 में जॉब कार्ड धारकों

से डिमांड भरवाएं। जॉब कार्ड धारकों की सूची ग्राम पंचायत में राजीव गाँधी सेवा केन्द्र से प्राप्त की जा सकती है, या महात्मा गाँधी नरेगा की वेबसाइट से हासिल की जा सकती है। भरे हुए फार्म-6 को पंचायत सचिव/ ग्राम सेवक के माध्यम से पंचायत में जमा करवाएं एवं उसकी पावती अवश्य लें। फार्म-6 जमा करने का एक और सुगम तरीका है। फार्म-6 की पावती प्राप्त करने की आवश्यकता भी नहीं है। ज्ञात रहे कि जॉब डिमाण्ड जितनी ज्यादा होगी, महात्मा गाँधी नरेगा तहत पेंडिन्ग, मौजूदा तथा आगामी कार्यों को उतना ही अधिक तेजी से क्रियान्वित करवाया जा सकता है।

उपर्युक्त के साथ-साथ एक महत्त्वपूर्ण कार्य और है जिसका फेसिलिटेशन आवश्यक है, और वह है ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय स्वीकृत कार्यों को या/ तथा पिछले पेन्डिंग कार्यों के विवरणों के साथ पंचायत समिति को लिखा जाये कि उन कार्यों को उस पंचायत में प्रारम्भ किया जाना है। इस आवेदन की प्राप्ति के पश्चात पंचायत समिति को वाजिब है कि वह मस्टर रॉल जारी करेगी। मस्टर रॉल जारी होने पर नये काम खुल जाएंगे और लाभार्थियों द्वारा कार्यों को अन्जाम दिया जा सकेगा।

अब आखरी बहुत उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण पहलू है मॉनिटरिंग का। महात्मा गाँधी नरेगा तहत क्या प्राकृतिक संसाधनों के विकास हेतु कार्यों के उत्कृष्टतापूर्वक क्रियान्वयन की प्रक्रिया की सहभागी मॉनिटरिंग हो सकती है? यह काम कैसे किया जाएगा? चारागाह विकास समिति के सदस्यों, गाँव स्तरीय संस्था यदि हो तो उसके सदस्यों, गाँव के वॉलटियर तथा महात्मा गाँधी नरेगा मेटों द्वारा मिलकर एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जा सकती है। यह 'मानिटरिंग कमेटी' क्रियान्वयन प्रक्रिया की निगरानी करे।

अध्याय-5

चारागाह में पौधारोपण कार्य

पौधे लगाने से पहले जमीन की तैयारी कैसे करें

खड्डों की आवश्यकता

1. पौधों को लगाने से कम से कम एक महीने पहले खड्डे खोद लें। इससे खड्डों में पूरी धूप पहुँच सकेगी। जिससे दीमक आदि खत्म हो जायेगी।
2. इसी प्रकार खड्डों में धूप लगने से मिट्टी का कसाव कम होगा। जिससे जड़ें ज्यादा अच्छी तरह से चलेंगी।

खड्डों का नाप

जो खड्डे खोदे जाये उनकी लम्बाई दो फुट, चौड़ाई दो फुट, और गहराई दो फुट होनी चाहिए।

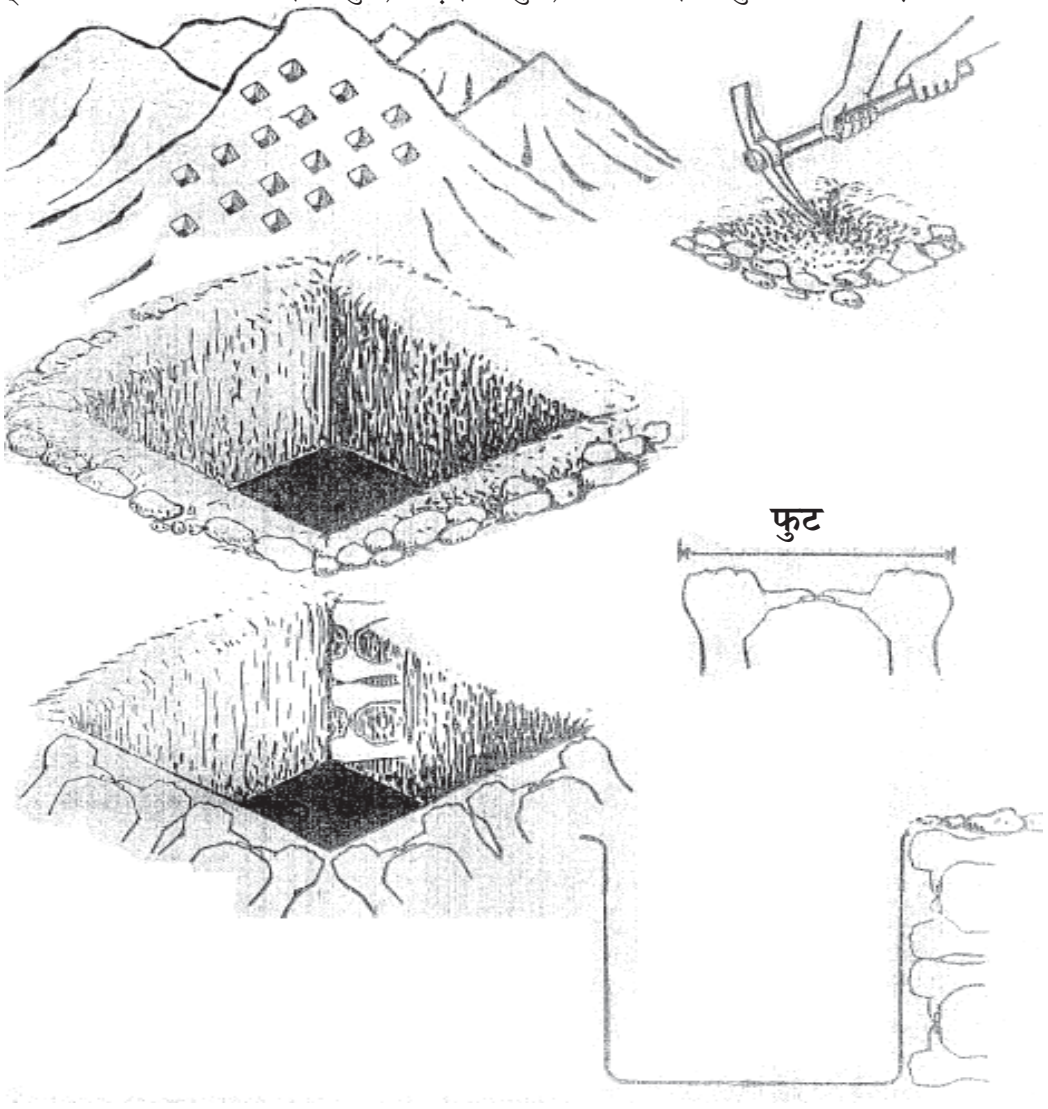

खड्डों के बीच की दूरी

1. एक खड्डे से दूसरे खड्डे के बीच की दूरी कम से कम 7 फुट से 10 फुट होनी चाहिये। (लगभग सात हाथ)
2. एक खड्डे से ऊपर वाले खड्डे तथा नीचे वाले खड्डे भी सात फुट दूर होने चाहिये।

खड्डे किसी प्रकार खोदें

खड्डे त्रिकोण पद्धति के आधार पर खोदे जाने चाहिये। इस प्रकार खोदें कि पहली लाईन के दो-दो खड्डों के बीच दूसरी लाईन का एक-एक खड्डा आये।

ये देखने में समोसे या त्रिकोण जैसे होंगे। इस प्रकार के खड्डों से बरसात का पानी ज्यादा काम आयेगा।

खड्डे खोदने का तरीका

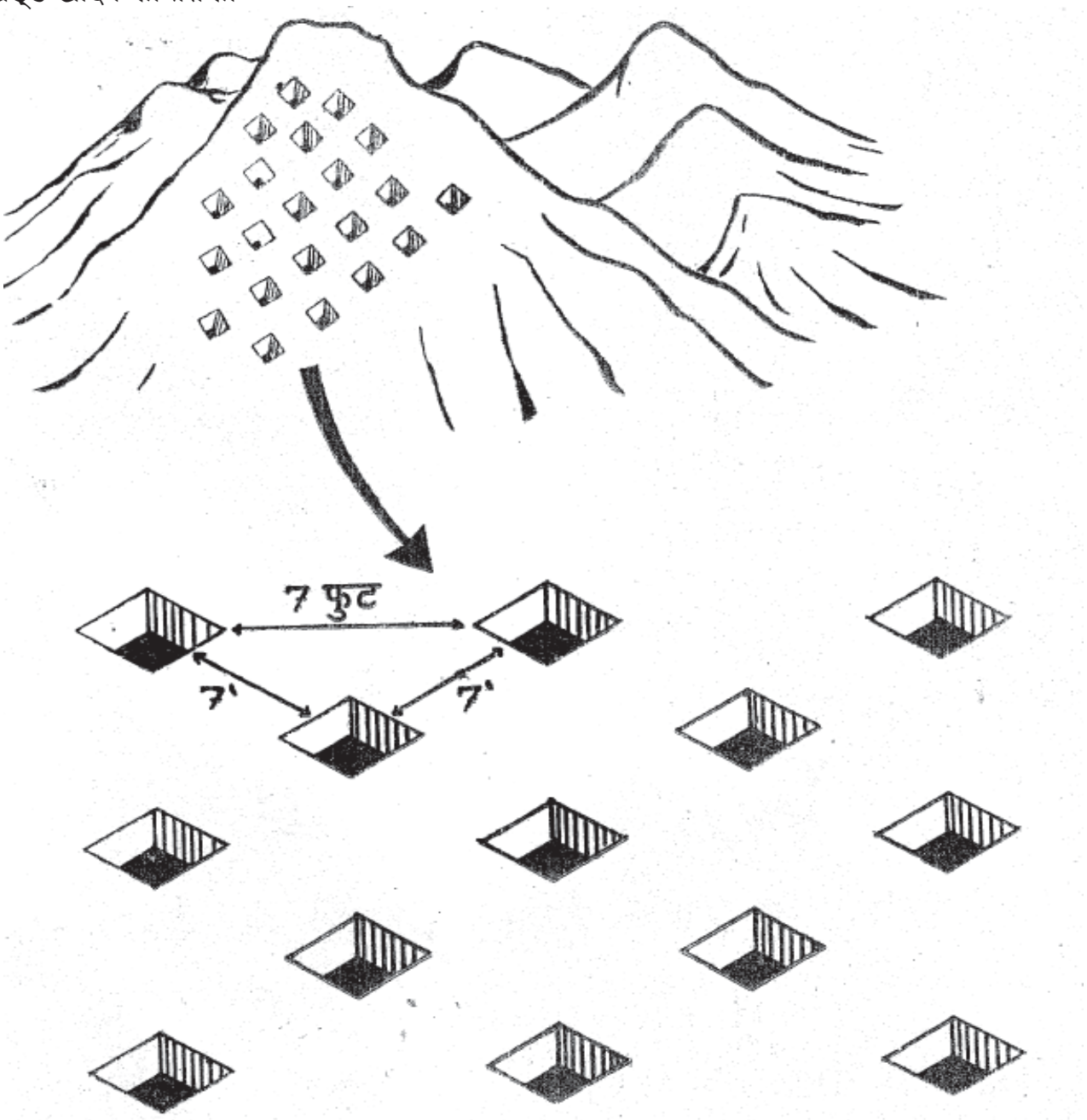

खड्डों का आकार

खड्ये चौकारे या चोकुट आकार के होने चाहिये। जैसे :-

खड्डे दोने, कप या कुल्हड़ के आकार के नहीं होने चाहिये। जैसे :-

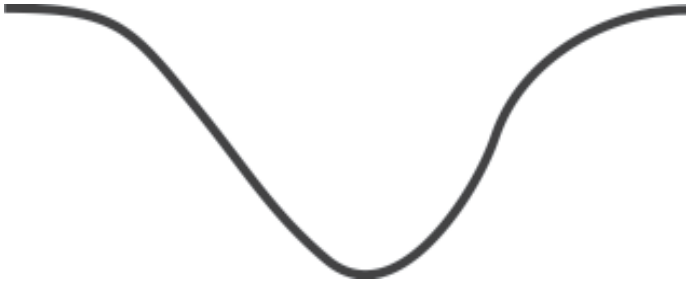

मिट्टी कैसे रखें

खड्डे से निकली मिट्टी खड्डे के नीचे की तरफ रखें।
मिट्टी खड्डे के ऊपर न डालें। ऊपर रखी मिट्टी बरसात में खड्डे में बह आयेगी।

बाड़ का प्रबन्ध

पौधों की सुरक्षा के लिये बाड़ आवश्यक है। यह मजबूत होनी चाहिये बाड़ थूर की अथवा कांटों की बनाई जा सकती है।

पौधे कैसे लगायें

खड्डे कैसे भरें

1. जेठ के महीने में खड्डे भरने का काम करें।
2. खड्डों को आधे से पौन तक मिट्टी से भरें।
3. खड्डों को भरने से पहले मिट्टी में से कंकड़ पत्थर निकाल लें।

पौधों को नर्सरी से लायें

1. अच्छी बारिश होते ही नर्सरी से पौधों को ले आये।

बंजर भूमि विकास कार्यक्रम

पौधे लगाने की विधि

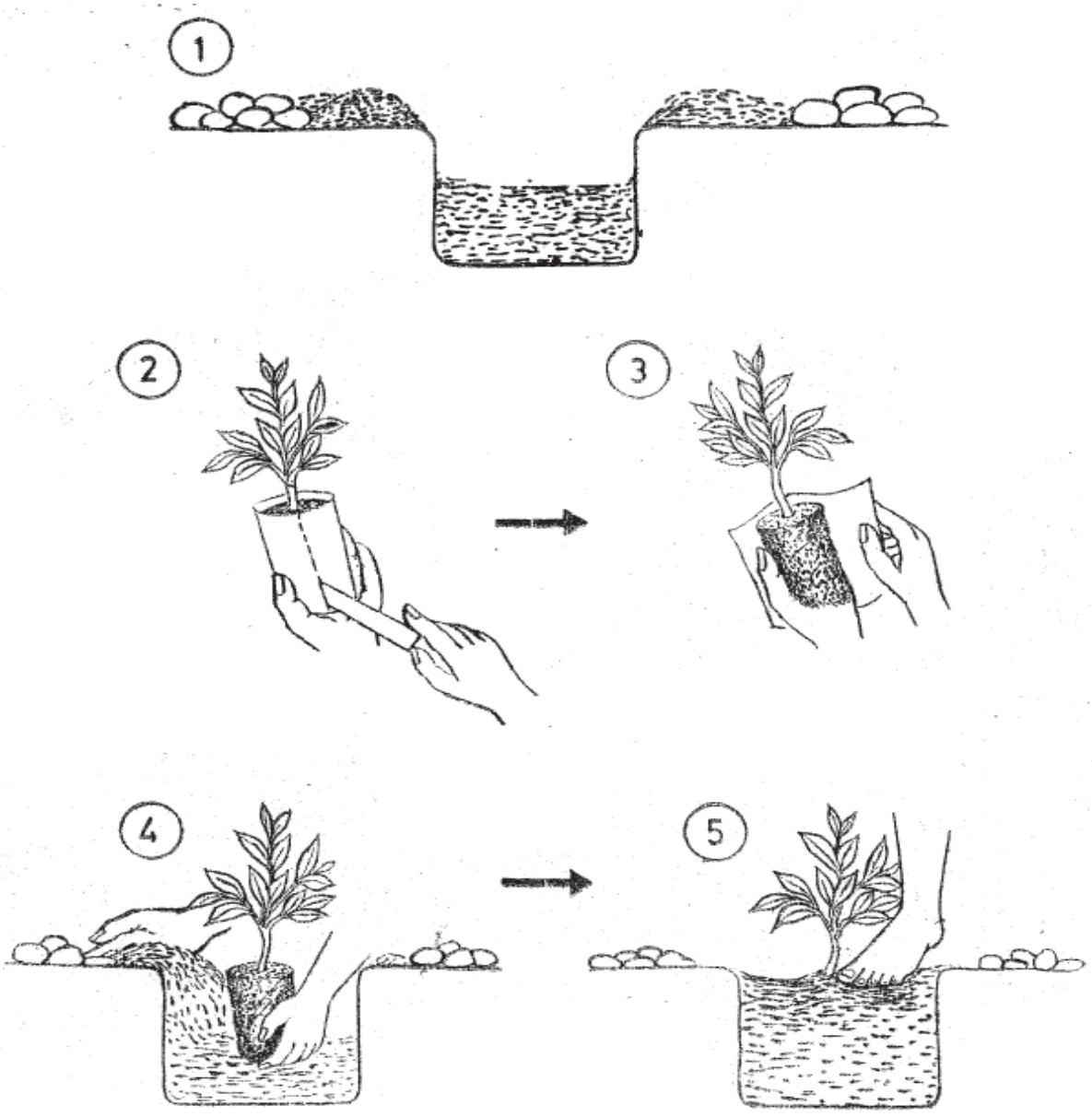

2. अलग-अलग प्रकार की जमीन में अलग-अलग प्रकार के पौधे लगाये जाने चाहिये। अपनी जमीन के हिसाब से ही पौधे नर्सरी से लाये।
3. जिस पौधे को जहाँ लगाना हो उस पौधे को उसी खड्डे के पास रखें।
4. इसके बाद पौधे लगाना शुरू करें।

पौधे कैसे लगायें

1. पौधे को बोने के लिये चाकू अथवा ब्लेड से पौधे की थैली को काट दें।
2. थैलियों को सावधानी से काटे जिससे पौधों की जड़ों को नुकसान न हो।
3. पौधों को मिट्टी और जड़ों के साथ सावधानी से बो दें।
4. पोधों को लगाने पर पौधे का कम से कम आधार भाग खड्डे के बाहर रहे।

इस तरह

यह सही प्रकार से लगाया गया है

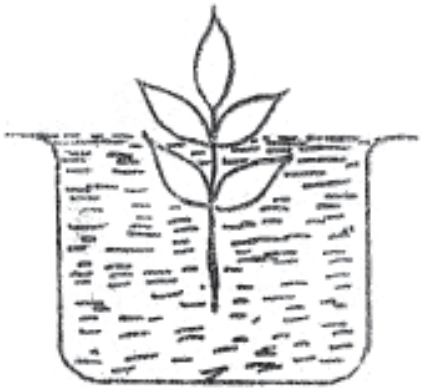

यह गलत प्रकार से लगाया गया है

5. पौधे को लगाकर चारों तरफ मिट्टी डालें। खड्डे को पूरा भर दें। भरने के बाद पाँव अथवा हाथ से पौधे के चारों तरफ की मिट्टी को अच्छी तरह से जमा दें।
6. आप वन पाल से खाखरा, खेर तथा बेर के बीज ले लें। हर एक खड्डे में पौधे के साथ-साथ एक अथवा दो बीज डाल दें।
7. आप स्वयं भी नीम के तथा अन्य ताजा बीज इकट्ठे करके खड्डों में डाल सकते हैं।

अलग-अलग प्रकार के पौधे कहाँ लगायें

जमीन के हिसाब से अलग-अलग प्रकार के पौधे निम्न प्रकार से लगायें।

पहाड़ी के ऊपरी हिस्से में जहाँ ढ़लान बहुत अधिक है तथा मिट्टी कम है वहाँ नीचे लिखे पौधे लगायें।

1. रूंजिया
2. खेर

पहाड़ी से थोड़े नीचे वाली जगह जहाँ ढ़ाल थोड़ा कम है और मिट्टी थोड़ी ज्यादा है। वहाँ नीचे लिखे पौधे लगायें।

1. सागवान
2. सीताफल
3. बेर
4. खाखरा
5. बंगाली बबूल (अकाशिया)
6. चुरेल (करंज)
7. नीम

पहाड़ी से नीचे की तरफ जहाँ मिट्टी अधिक और ढ़लान कम है।

1. कालासिरस
2. बांस
3. देशी बबूल
4. कीकर
5. शीशम
6. बहेड़ा
7. आंवला
8. इमली
9. महुआ आदि लगाये

जहाँ पर नाले हो तथा पानी ज्यादा हो वहाँ बांस लगा दें।

पौधशाला कैसे लगायें

पौधशाला एक सुरक्षित स्थान है जहाँ नवजात पौधे विकसित किये जाते हैं एवं रोपने से पूर्व इन पौधों की देखभाल की जाती है।

क. पौधशाला के प्रकार

तीन प्रकार की पौधशालाओं में पौधे तैयार किये जाते हैं -

1. अर्द्ध वार्षिक पौधशाला
2. वार्षिक पौधशाला
3. राईजोम पौधशाला

1. अर्द्ध वार्षिक पौधशाला

अर्द्ध वार्षिक पौधशाला या छ:माही पौधशाला को तैयार करने का समय जनवरी से प्रारंभ होता है। इसमें 6 माह में डेढ़ से दो फीट के बड़े होने वाले पौधों को सम्मिलित किया जाता है जैसे- कैंगर खेर, कालिया सीरस, नीलगिरी, बंगाली बबूल, आँवला, शीशम, देशी बबूल, कींकर आदि।

2. वार्षिक पौधशाला

वार्षिक पौधशाला को तैयार करने का समय जून से प्रारम्भ होता है तथा एक वर्ष पश्चात् अगली वर्षा ऋतु में डेढ़ से दो फीट के बड़े होने वाले किस्मों के पौधे तैयार किये जाते हैं। जैसे- नीम, जामुन, महुआ, आम, करंज, कुमठा, हवन, बैर तथा चौड़ी पत्ती वाली अधिकतम प्रजातियाँ।

3. राईजोम पौधशाला

राईजोम पौधशाला का समय फरवरी से प्रारंभ होकर डेढ़ वर्ष पश्चात अर्थात अगले वर्ष वर्षा ऋतु में डेढ़ से दो फीट के बांस के बड़े पौधे राईजोम द्वारा तैयार किये जाते हैं। इन पौधशाला में केवल बांस के पौधों को ही सम्मिलित किया जाता है।

राईजोम विधि से पौधे तैयार करने हेतु एक वर्ष तक क्यारी में पौधे तैयार किये जाते हैं। फिर इन पौधों से प्राप्त गांठों को थैली में स्थानान्तरित करके तैयार किया जाता है।

ख. पौधशाला स्थान का चुनाव

1. दस हजार पौधों की एक पौधशाला के लिये लगभग तीस बिस्वा जमीन की जरूरत पड़ेगी।
2. पौधशाला के लिये ऐसी जगह चुनें जहाँ पर साल भर मीठा पानी सिंचाई हेतु उपलब्ध हो।
3. दोमट मिट्टी वाली जगह चुनिये। दोमट मिट्टी मतलब ऐसी मिट्टी जो ज्यादा चिकनी भी न हो व ज्यादा रेतीली भी न हो।
4. पौधशाला की जगह समतल हो, यदि ढलान हो तो बहुत ही कम हो। ऐसी जगह नहीं होनी चाहिये जहाँ वर्षा का पानी इकट्ठा होता हो इससे पौधों को नुकसान होने की संभावना रहती है।
5. पौधशाला की जगह घर के जितनी पास हो उतना ही अच्छा है।
6. पौधशाला का स्थल वृक्षारोपण स्थल से जहाँ तक संभव नजदीक होना चाहिये, ताकि पौधों को परिवहन करते समय न्यूनतम नुकसान हो।

ग. क्यारियाँ तैयार करना

1. थैलियों में सीधे बीज बुवाई हेतु

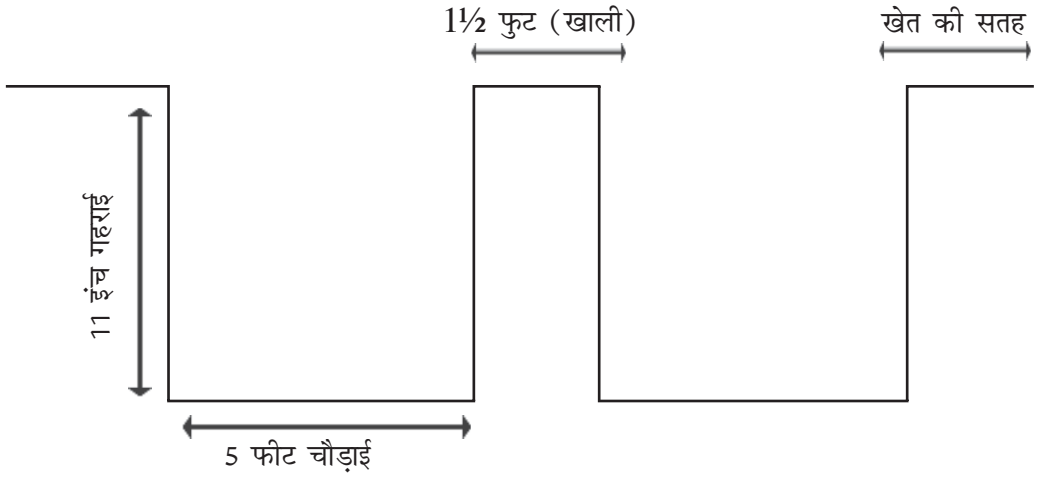

(1) क्यारियाँ इतनी गहरी होनी चाहिये जिसमें मिट्टी से भरी थैलियाँ पूरी समा सकें।

(2) क्यारियों का माप ऐसा हो :

गहराई – 11 इंच (10'' थैलियों के लिये)

चौड़ाई – 3 फीट

लम्बाई – जमीन के अनुसार

(3) दो क्यारियों के बीच कम से कम डेढ़ फुट की जगह अवश्य छोड़ें।

(4) क्यारियों की दिशा पूर्व से पश्चिम की ओर रखें।

(5) अंदाज के लिये उदाहरण- एक 3 फुट चौड़ी और 15 फुट लम्बी क्यारी में लगभग 700 थैलियाँ आ जायेंगी।

2. बाँस के पौधों का रोप तेयार करने हेतु

(1) बाँस के बीजों का क्यारी में बुवाई करने तथा एक वर्ष तक तैयार करने हेतु सतह से करीबन 1 फीट ऊपरी क्यारी बनाई जाती है। जिससे राइजोम की गाँठों को प्राप्त करने में सुविधा रहती है।

(2) बाँस की क्यारी हेतु अच्छी दोमट मिट्टी तथा खाद उचित मात्रा में मिला होना आवश्यक है।

(3) 5,000 बाँस के पौधे तैयार करने हेतु कम से कम क्यारी इस प्रकार होनी चाहिये :

चौड़ाई - 4 फीट, लम्बाई - 20 फीट ऊँचाई - 1 फीट (सतह से)

(4) बांस के बीजों की क्यारियों में लाइन सोइंग (कतार से कतार) विधि द्वारा फरवरी-मार्च माह में करनी चाहिये।

(5) डेढ़ माह से दो माह बाद इन पौधों को क्यारियों में 6-6 इंच की दूरी पर रखें तथा अगली फरवरी तक देखभाल क्यारियों में नियमित रूप से करते रहें।

(6) समय-समय पर पौधों की बढ़वार अधिक होने पर ऊपर से सेकेटियर द्वारा कटिंग की जानी चाहिये।

घ. छाया का प्रबन्ध

1. पौधशाला में गर्मी व सर्दी से बचाव के लिये छाया करें।
2. क्यारियों के बीच में पौधशाला शुरू करने के साथ-साथ अरंडी के बीज बोने से भी उसकी छाया तैयार हो सकती है।

ड. बाड़ का प्रबंध

पौधशाला को जानवरों से बचाने के लिये कांटेदार मजबूत बाड़ बनायें।

च. मिट्टी तैयार करना

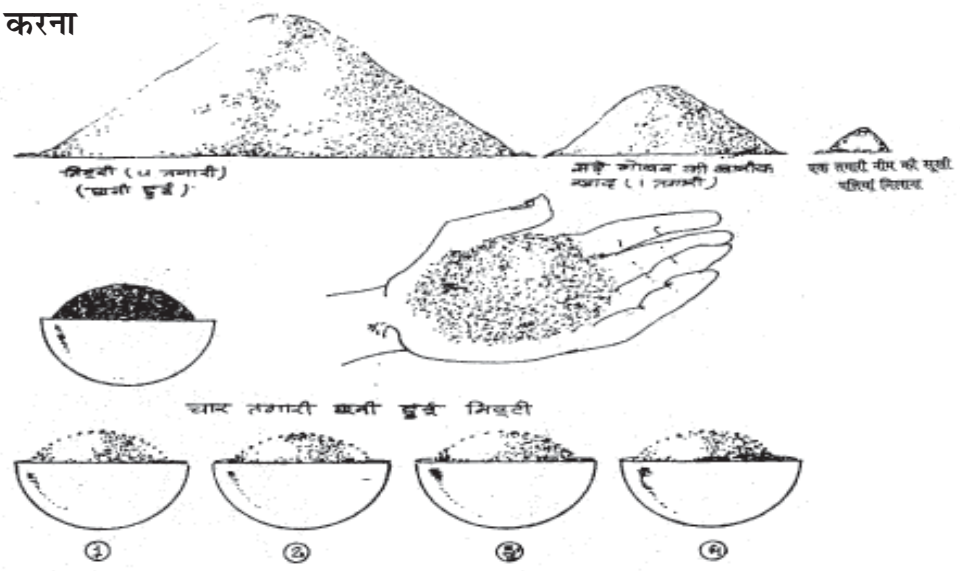

1. मिट्टी को पहले छान लें। कंकड-पत्थर निकाल देवें।
2. अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद इकट्ठी करें।
3. थैली में भरने के लिये मिट्टी ऐसी तैयारी करें।

सादी मिट्टी	–	4 तगारी
सड़ी हुई गोबर की खाद	–	1 तगारी
नीम की खाद अथवा नीम के सूखे पते	–	1 तगारी

4. ऊपर लिखी तीनों चीजें अच्छी तरह मिला लेवें।

छ. पौलिथीन की थैलियाँ

वार्षिक, अर्द्धवार्षिक एवं राइजोम की पौधशाला हेतु पोलिथिन की थैलियों का आकार निम्नानुसार होता है :

क्र.सं.	प्रकार	पोलिथिन थैली का आकार			1 किलो में थैलियों की अनुमानित संख्या
		लम्बाई से.मी.	चौड़ाई से.मी.	मोटाई (गेज)	
1.	वार्षिक	25	125	200	275
2.	अर्द्धवार्षिक	25	10	200	400
3.	राइजोम	25	10	200	400

ज. थैलियों में छेद करना

मिट्टी भरने से पहले हरेक थैली में छेद करें।

1. अर्द्ध वार्षिक पौधशाला हेतु थैलियों में मिट्टी भरने से पूर्व तीन-तीन छेद करें।
2. वार्षिक पौधशाला हेतु थैलियों में मिट्टी भरने से पूर्व पाँच-पाँच छेद करें। छेद चित्र में बताये अनुसार करें।

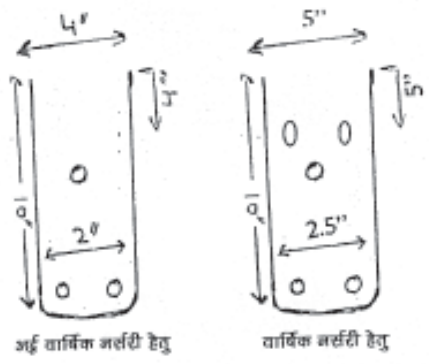

झ. थैलियाँ भरना

1. थैलियाँ ऊपर तक भरें।
2. मिट्टी ज्यादा दबाकर न भरें वरना थैलियाँ फट सकती है।
3. थैलियाँ क्यारियों में बिल्कुल सीधी जमावें।
4. थैलियाँ जमाने के बाद एक बार अच्छी तरह क्यारियों में पानी दें।

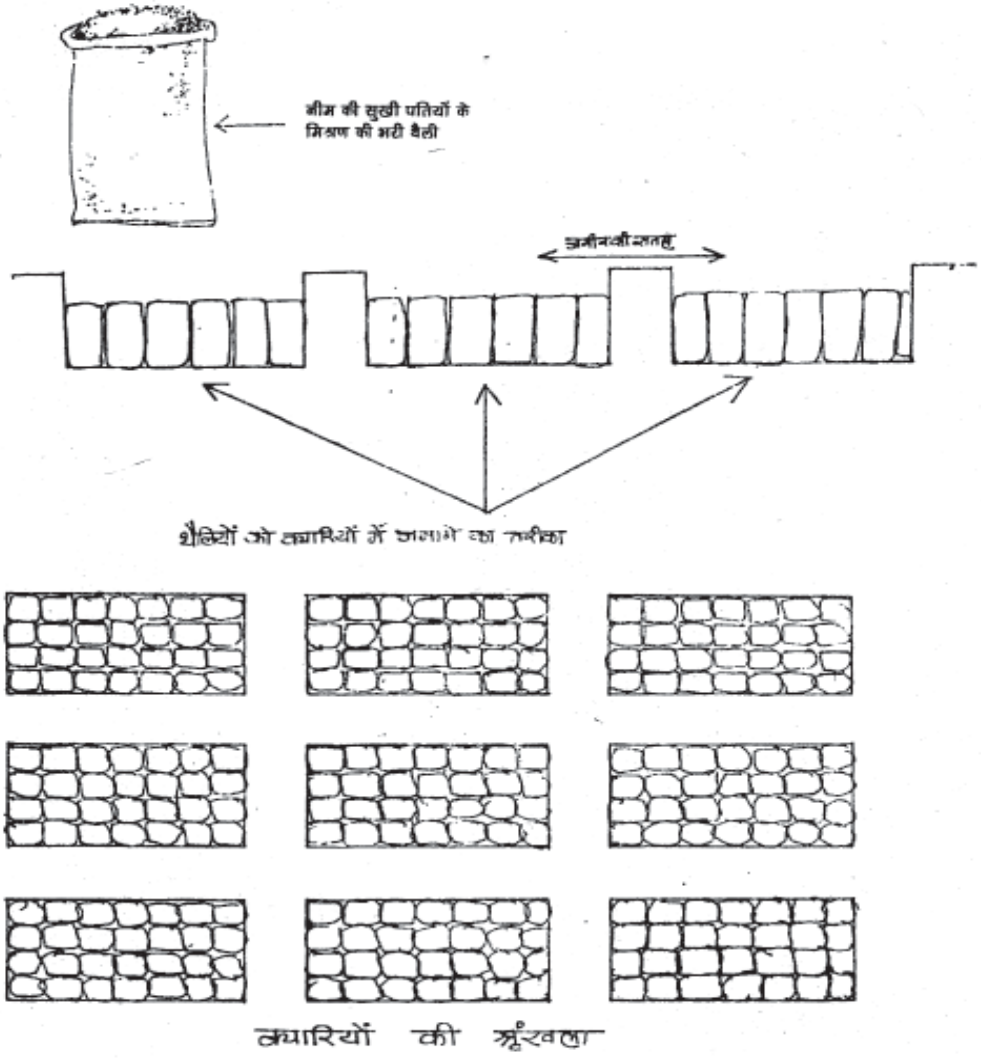

ण. बीज बोना

1. टूटे हुए बीज काम में न लें।
2. पानी में भिगाने पर जो बीज ऊपर तैरे उनको काम में न लें।
3. बीज सिर्फ गीली मिट्टी वाली थैलियों में ही बोयें।
4. प्रत्येक थैली में दो से तीन बीज बोयें।
5. बीज जितना मोटा हो उससे दूना गहरा उसको मिट्टी में बोयें।
6. यदि अच्छे तन्दुरूस्त वृक्षों के बीजों को एकत्रित कर बोये जायें तो अच्छे पौधे प्राप्त होंगे।
7. नीलगिरी के बीजों को रेत बजरी में मिलाकर क्यारी में बुवाई करें। तीन पत्तों के पौधे हो जावें तब थैलियों में स्थानान्तरित करें।

त. बीज उपचार तरीके

1. कुछ प्रजातियों के बीज ऐसे होते हैं जिन्हें उपचार की आवश्यकता नहीं होती परन्तु फिर भी यदि बीजों को 24 घण्टे तक ठण्डे पानी में डूबोकर बोया जाये तो अंकुरण जल्दी एवं आसानी से निकलता है।
2. 24 घण्टे पानी में डूबो देने के बाद जो बीज पानी के ऊपर तैरते दिखाई देते हैं उन्हें निकाल कर फेंक देना चाहिये। अच्छे बीज पानी में नीचे बैठ जाते हैं उन्हें निकाल कर बो देना चाहिये।

बीज उपचार सारणी

क्र.सं.	नाम प्रजाति	उपचार	बुवाई का समय	अंकुरण समय
1.	कैगर खेर	24 घण्टे गर्म पानी में भिगोना।	फरवरी मार्च	5-7 दिन
2.	कालिया सिरस	24 घण्टे गर्म पानी में भिगोना।	मार्च व जुलाई	25-30 दिन
3.	नीलगिरी	रेत में मिला कर बुवाई करें।	जनवरी-फरवरी	5-7 दिन
4.	बंगाली बबूल	24 घण्टे गर्म पानी में भिगोना।	मार्च	5-7 दिन
5.	आँवला धुली	24 घण्टे ठण्डे पानी में भिगोना।	फरवरी व जुलाई	10-15 दिन
6.	कींकर	24 घण्टे ठण्डे पानी में भिगोना।	मार्च	8-10 दिन
7.	देशी बबूल	24 घण्टे गर्म पानी में भिगोना।	मार्च	20-30 दिन
8.	नीम	आवश्यकता नहीं	एकत्रित करने के तुरन्त बाद	15-20 दिन
9.	जामुन	आवश्यकता नहीं	एकत्रित करने के तुरन्त बाद	25-30 दिन
10.	महुआ	आवश्यकता नहीं	एकत्रित करने के तुरन्त बाद	10-15 दिन
11.	आम	आवश्यकता नहीं	एकत्रित करने के तुरन्त बाद	25-30 दिन
12.	करंज	24 घण्टे गर्म पानी में भिगोना।	जुलाई	25-30 दिन
13.	कुमठा	24 घण्टे गर्म पानी में भिगोना।	जून-जुलाई	25-30 दिन
14.	हवन	24 घण्टे सादे पानी में भिगोना।	जुलाई	25-30 दिन
15.	बैर	गुठली फोड कर बुवाई करें।	जुन-जुलाई	25-30 दिन
16.	बांस	24 घण्टे सादे पानी में भिगोना।	मार्च-जून	20-30 दिन
17.	बेहडा	हल्का सेक कर अथवा लोहे या हथोड़े से हल्की चोट लगाकर।	मई-जून	20-30 दिन
18.	शीशम	आवश्यकता नहीं	मार्च व जून	15-20 दिन
19.	रून्झियां	24 घण्टे गर्म पानी में भिगोना।	फरवरी-मार्च व जुलाई	20-30 दिन
20.	शिकाकाई	24 घण्टे सादे पानी में भिगोना।	मई-जून	20-30 दिन

थ. अंकुरण के पश्चात् पौधशाला में आवश्यक कार्य व सावधानियाँ

1. बीज बोने के एक महीने पश्चात थैली में उगी हुई खरपतवार को सावधानी से उखाड़ कर फेंक दें। नये उगे हुए पौधे को हानि नहीं पहुँचावें।
2. उसी समय के आस-पास कीले या सुइये से हल्की गुड़ाई भी कर देवें। ध्यान रहे कि इससे नवजात पौधे को हानि नहीं होवें।
3. मार्च मास तक रोजाना एक सिंचाई करें। सिंचाई संध्या के समय ही हो। एक अप्रेल से जून के अन्त तक अथवा वर्ष्ा होने तक दो सिंचाई करना आवश्यक है। सिंचाई झारे से ही करें। सीधी-धोरे से सिंचाई नहीं करें।

4. अंकुरित पौधों को समय समय प्रजाति तथा साईज अनुसार बेड में जमाना चाहिये तथा खाली थैलियों में पुनः बीजों की बुवाई करनी चाहिये।
5. मई के अन्तिम सप्ताह में जब पौधों की जड़ें थैलियों के पैंदे तक पहुँच जावे तब थैलियों की अदला बदली करनी आवश्यक है ताकि जड़ें थैली के पैंदे से बाहर निकल कर पौधशाला की जमीन में नहीं घुस पावें।
6. जिन थैलियों में एक से अधिक पौधे अंकुरित हो जावें उन्हें भी दो बार में कम कर दें। अप्रेल तक सिर्फ एक ही पौधा थैली में रहे।
7. पौधशाला में छाया एवं बाड़ की व्यवस्था पर पूर्ण ध्यान देते रहना आवश्यक है।
8. वृक्षारोपण हेतु पौधे परिवहन करने से कुछ दिन पहले उपर से छाया कम कर दें ताकि पौधे धूप सहन करने के लिये तैयार हो सकें।

द. व्याधियाँ एवं पौध संरक्षण

पौधशाला में तैयार होने वाले पौधों के रोगों की रोकथाम समय पर होना आवश्यक है।

1. यदि पौधों की पत्तियाँ पीली पड़कर, मुरझा जाती हैं एवं पौधे भी नष्ट होने लगे तो बेविस्टिन 0.15 प्रतिशत या डाइथेन जेड 79.03 प्रतिशत का घोल बनाकर थैलियों को सिंचित करना चाहिये। इसे मुरझान रोग के नाम से जाना जाता है। यह रोग मिट्टी से उत्पन्न होता है यह अधिकतर बबूल, कालासिरस, शीशम, नीलगिरी में पाया जाता है।
2. कालिया सिरस व बैर में छाछियां (पाउडरी मिल्डयू) नामक बीमारी हो जाती है। कालिया सिरस में तो बीज उगने के 20 दिन के पश्चात् ही इस बीमारी से पौधे मरने शुरू हो जाते हैं। उसकी रोक थाम निम्न प्रकार से करें:-

   बेविस्टीन नाम की फफूँद नाशक दवा की 5 ग्राम मात्रा को पूरा झारा भरे पानी में अच्छी तरह घोल लें। फिर कालिया सिरस के नये उगे हुए पौधों में तब छः पत्तियाँ आ जावें तब उस पर हल्का सा छिड़काव झारे से फव्वारा लगा कर दें। एक झारा पानी करीब 3000 पौधों पर छिड़काव के लिये काफी होना चाहिये।
3. गाँठ गलन रोग जो कि फफूंद जनित रोग है जिसमें पौधों का कालर 'तना' गल कर जमीन पर गिरना प्रारंभ कर देता है। यह रोग उच्च नमी वाली जमीन में होता है, रोग उत्पन्न होने के बाद पानी देना कम कर देना चाहिये तथा साथ ही कप्टान, विटावेक्स व बेविस्टिन क्रमशः 0.25 प्रतिशत, 0.50 प्रतिशत व 0.3 प्रतिशत भाग को लेकर छिड़काव करना चाहिये।

ध. बीज संख्या

वन्य वृक्षों की विभिन्न प्रजातियों के बीजों का वजन भी प्राय अलग-अलग होता है। एक ही प्रजाति में भी नमी, परिपक्वता आकार इत्यादि बीजों के वजह को प्रभावित करते हैं। कुछ प्रजातियों के बीजों की संख्या प्रति किलोग्राम निम्नानुसार है :-

क्र.सं	नाम प्रजाति	प्रति किलो में बीज संख्या
1.	कैगर खेर	6,000
2.	खैर	40,000
3.	देशी बबूल	8,500
4.	रून्झियां	37,000
5.	कालासिरस	15,600
6.	नीम	4,500
7.	शीशम	53,000

8.	बांस	32,000
9.	करंज	1,200
10.	महुआ	450
11.	आम	150
12.	जामुन	1,200
13.	बेहडा	500
14.	बैर	1,400
15.	हवन	25,000
16.	नीलगिरी	10,40,000
17.	बंगाली बबूल	45,000
18.	कींकर	7,000

न. अर्द्ध वार्षिक पौधशाला

क्र.सं.	नाम माह	आवश्यक कार्य
1.	नवम्बर	काश्तकारों का चयन
2.	दिसम्बर	स्थान का चयन, प्रशिक्षण
3.	जनवरी	बेड खोदना, बाड करना, मिट्टी तैयार करना, खाद की व्यवस्था, थैलियाँ पहुँचाना, थैलियों में मिट्टी भरना।
4.	फरवरी	बाकी थैलियाँ भरना, बीज पहुँचाना, छाया का प्रबन्ध, ठण्ड कम होने पर 16 फरवरी बाद बीज उपचार करके बीज की बुवाई करना।
5.	मार्च	बीज बुवाई पूर्ण करना, छाया का प्रबन्ध, सुबह शाम पानी देना।
6.	अप्रेल	जिन थैलियों में बीज का अंकुरण नहीं हुआ है उनमें वापस बीज बुवाई करना, समयानुसार पानी देना, निराई गुड़ाई करना, रोग की जानकारी लेना, छाया निश्चित रूप से हो जानी चाहिये।
7.	मई	अंकुरित पौधें को प्रजाति अनुसार जमाना, समयानुसार पानी देना, निराई गुड़ाई, पौधों की जड़े बाहर आ रही हों तो जगह बदलना एवं थैली के बाहर आ रही जड़ों को काटना, खाली थैलियाँ अलग करना।
8.	जून	सुबह शाम झारे से पानी देना, 15 जून के बाद छाया हल्की करना, थैलियाँ पलटने की आवश्यकता हो तो पलटना, उपलब्ध पौधों की प्रजाति अनुसार सूची तैयार करना।
9.	जुलाई	पौधों को वृक्षारोपण स्थल पर भेजना, जिनकी ऊँचाई कम से कम डेढ़ से दो फीट हो।

प. वार्षिक पौधशाला

क्र.सं.	नाम माह	आवश्यक कार्य
1.	अप्रेल	काश्तकारों का चयन, स्थान का चयन एवं प्रशिक्षण
2.	मई	बेड खोदना, बाड करना, मिट्टी तैयार करना, खाद की व्यवस्था, थैलियाँ पहुँचाना, थैलियों में मिट्टी भरना।
3.	जून	झारे से पानी देना, नीम, जामुन, आम, महुआ के बीजों को काश्तकार द्वारा एकत्र कर 20 जून बाद बीजारोपण करना, अन्य बीजों को काश्तकार तक पहुँचाना एवं बीज उपचार के बाद बुवाई करना।

4.	जुलाई	थैलियाँ एवं क्यारियों से घास साफ करना, खाली थैलियों में बीज बुवाई करना।
5.	अगस्त	थैलियाँ एवं क्यारियों से घास साफ करना, खाली थैलियों में बीज बुवाई करना।
6.	सितम्बर	क्यारियों में तैयार रोप को थैलियों में बुवाई करना, निराई गुडाई करना, समयानुसार पानी देना, खाली थैलियों में पुनः बीज बुवाई करना।
7.	अक्टूबर	थैलियों की जगह पलटना, पौधों को प्रजाति अनुसार जमाना, खाली थैलियों को अलग करना।
8.	नवम्बर–दिसम्बर	निराई गुडाई करना, पानी देना, पाले से बचाव हेतु समुचित व्यवस्था करना।
9.	जनवरी–फरवरी	खाली थैलियों में नीलगिरी के बीजों की बुवाई करना, यदि रोप तैयार हो तो खाली थैलियों में बुवाई करना, सिंचाई करना।
10.	मार्च–मई	पौधों की सुबह शाम सिंचाई करना, महीने में एक बार पौधों का स्थान परिवर्तन करना, निराई गुड़ाई, प्रजाति अनुसार पौधों को जमाना एवं सूची तैयार करना तथा छाया का प्रबन्ध करना।
11.	जून	पौधों के ऊपर की छाया हल्की करना, थैलियाँ पलटने की आवश्यकता हो तो पलटना, पौधों को वृक्षारोपण स्थल पर पहुँचाने की तैयारी।
12.	जुलाई	पौधों को वृक्षारोपण स्थल पर भेजना जिनकी ऊँचाई कम से कम डेढ़ से दो फीट हो।

फ. बांस राइजोम पौधशाला

क्र.सं.	माह	नई पौधशाला	पुरानी पौधशाला
1.	दिसम्बर	काश्तकारों का चयन, स्थान का चयन एवं प्रशिक्षण	नियमित सिंचाई देना एवं निराई करना।
2.	जनवरी	बेड तैयार करना, खाद की व्यवस्था तथा मिलाना	बेड खोदना, बाड करना, मिट्टी तैयार करना, खाद की व्यवस्था, थैलियाँ पहुँचाना, थैलियों में मिट्टी भरना।
3.	फरवरी	बीज पहुँचाना, यदि सर्दी कम हो तो क्यारियों में 4'' की दूरी पर कतार में बुवाई करना।	जमीन से 2–3'' ऊपर से बेड में बांस को काटना, सिंचाई नियमित करना।
4.	मार्च	क्यारियों में 4'' की दूरी पर कतार में बुवाई करना, झारे से पानी देना।	क्यारियों से बांस को खोदकर गाँठे निकाल कर सायंकाल थैलियों में गांठे अलग–अलग करके रोपना, झारे से पानी देना।
5.	अप्रेल–मई	अंकुरित बांस में कहीं जगह छूटी हो तो और बीज बोना, छाया का प्रबन्ध, निराई गुड़ाई, झारे से पानी देना।	जिन थैलियों में बांस की गांठे नहीं चली उन खाली थैलियों को अलग करना, नियमित पानी देना, छाया का प्रबन्ध करना।
6.	जून	नियमित पानी देना माह के अन्त में छाया हल्की करना।	तैयार बांस के पौधों की गिनती करना, आवश्यकता अनुसार वृक्षारोपण स्थल पहुँचाने की आयोजना करना।
7.	जुलाई से सितम्बर	वर्षा की कमी पर सिंचाई बराबर देते रहना, निराई गुड़ाई करना।	जुलाई में वृक्षारोपण स्थल पर पहुँचाना
8.	अक्टूबर	अगर बांस की ऊँचाई 4–5 फीट हो तो ऊपर से काटना, निराई करना, पानी देना, नियमित सिंवाई देना।	
9.	नवम्बर	नियमित सिंचाई देना एवं निराई करना।	

अध्याय-6

चारागाह में पैदा होने वाली स्थानीय घास

करड़ (डाइकेंथिम एन्युलेटम)

कुल - ग्रेमिनी

पर्यायनाम - एन्ड्रोपोगोन एन्युलेटस

प्रचलित नाम - मारवेल ग्राम

एक देशज, बहुवर्षीय, गुच्छित (टफ्टेड), 75 से.मी. तक ऊँची बढ़ने वाली घास, जिसका तना विसर्पी (क्रीपिंग) प्रकंद जैसा होता है और लगभग 100 तल-शाखाएँ तक देता है। शाखाएँ चिकनी तथा रोम-रहित जो तनों से सीधी या ऊपर की ओर बढ़ती हुई होती हैं। चराई होने पर ये शयान (प्रोस्ट्रेट) या भूतल पर फैलने वाली शाखाएँ फेंक देती है। पर्व (इंटरनोड) छोटे होते हैं तथा पर्वसंधियाँ (जोड़ या नोड्स) बैंगनी होती हैं और उन पर चारों ओर कोमल सफेद रोम होते हैं। पत्ती कड़ी सी (रिजिड), रेखाकार 15-320 से.मी. x 2.5-5 मि.मी., लम्बे सिरे वाली जिसके किनारे खुरदरी धार वाले होते हैं। फूल छोटे, बैंगनी/ गुलाबी/ धूसर सफेद 6 से.मी. लम्बे स्पाईक जैसे असीमाक्ष पुष्पक्रम (रेसीम) में टहनियों के अन्त में उंगलियों की तरह फैले हुए (2-4 या कभी-कभी 8-15 तक), लगभग पूरे साल ही आते रहते हैं। फूलों के समूह-स्पाईकिका (स्पाईकलेट) बिना डंठल के होते हैं। फूल व फल मुख्यत: अक्टूबर-नवम्बर में आते हैं। इसी से मिलती जुलती घास 'बोथ्रीओल्कोआ परटुसा' में फलों के तुष (ग्ल्यूम) में आलपिन के सिर जैसा छोटा गोल गड्डा (गर्त) होता है।

प्रवर्धन : बीज, बिजौले, स्लिप्स।

वृद्धि एवं उपज : तेजी से बढ़ने वाली घास। 2-3 बार कटाई में 5 टल हैक्टर हरा चारा (30 प्रतिशत सूखा) देती है। केवल वर्षा पर निर्भर, करड़ की घास के चारागाहों से 15 किग्रा/ हैक्टर बीज मिल जाता है। अगर 22 किग्रा नत्रजन व 22 किग्रा फॉसफोरस/ हैक्टर दिया जाए तो 15 प्रतिशत ज्यादा उपज मिल जाती है। पहले साल में केवल एक कटाई, मध्य अक्टूबर में की जाती है और साथ ही साथ बीज भी इकट्ठा कर लिया जाता है। आगे के सालों में 2 कटाई की जा सकती है- पहले बढ़त के मौसम (ग्रोईंग सीजन) में 60 दिन बाद और फिर 30-45 दिन के अन्तराल पर। यदि मावट (विंटर रेन्स) हो जाएँ तो एक कटाई और ली जा सकती है। उन्नत किस्में 'आई.जी.एफ.आर.आई.-4955' मारवेल 8' लगानी चाहिए।

बीज

हर साल भरपूर बीज आता है। बीज केरिओपसिस-बैंगनी से, अंडाकार/ आयतरूप, ऊपर ऊँचे उठे हुए तथा नीचे, चपटे दबे हुए, सूक्ष्म। वन 6,00,000/- किग्रा।

संग्रहण - बीज वाली सींकें अक्टूबर-नवम्बर में हाथ में चुन-चुन कर तोड़ ली जाती है। इन्हें 1 या 2 दिन छाया में सुखाते हैं फिर हल्के-हल्के पीटकर और छानकर साफ बीज अलग कर लेते हैं।

भंडारण : बीजों की जीवन-क्षमता 2 साल। बोरों में भरकर रखा जाता है।

उपचार : बिलकुल नहीं।

पौधशाला

1,000 स्लिप्स के लिये 8 ग्राम बीज काफी है। इसके लिये स्थायी नर्सरी बनाना ठीक रहता है। नर्सरी में ओटले क्यारे (रेज्ड़ बैडस) 6.0 x 0.6 मीटर बनाते हैं। 4 से 6 दिन तक पानी दिया जाता है और फिर उगे हुए खरपतवारों को, जड़ से उखाड़ दिया जाता है। 12 क्यारों से 1.33 लाख पौधे मिल जाते हैं जो एक हैक्टर प्लांटेशन के लिये काफी है।

बिजाई- हर ओटले क्यारे में 30 ग्राम बीज क्यारी, 10 से.मी. दूर लाइनों में, 5 सेमी गहराई पर, मई माह में बोये जाते हैं। छाया के लिये छादक (थैच) भी लगाते हैं।

अंकुरण - लगभग 60 प्रतिशत। यह 1 सप्ताह में शुरू होकर 2 सप्ताह तक चलता है और अंकुरण के बाद भीगे टाट हटा

दिये जाते हैं और सिंचाई भी तीसरे दिन की जाती है। 800 ग्राम/ क्यारी केलसियम-अमोनियम-नाईट्रेट खाद बुरकना लाभदायक है।

बिजौला - 6 सप्ताह में बिजौले 20-25 से.मी. के हो जाते हैं।

उपयुक्त स्थल

अप्रैल तक बाड़ लगा लेनी चाहिये।

जलवायु- तापमान 0^0 सें. से 45^0 सें.। वार्षिक औसत वर्षा 350-1,500 मि.मी. पर सर्वोत्तम उपज 500-1, 250 मि.मी. वर्षा वाले क्षेत्रों में होती है। यह धामन/ अंजन घास के मुकाबले ज्यादा नमी पसंद करती है व छाया सहन करने वाली होती है।

मिट्टी - इसे भारी मृत्तिका मिट्टी जहाँ नमी हो, अनुकूल है। बालू मिट्टी में जहाँ अच्छी तरी हो वहाँ भी यह पनपती है। नदी, नालों के किनारे तथा तालाबों के बाँध इसके लिए ज्यादा अनुकूल हैं।

थल-रचना - समतल मैदानी भाग, चौड़ी घाटियाँ व हल्के ढाल 1,000 मीटर तक की ऊँचाई वाली जगह इसके अनुकूल हैं।

वृक्षारोपण स्थल की तैयारी - खरपतवार आदि उखाड़ कर, पहले मोल्डबोर्ड से फिर देशी हल से मई माह में जुताई कर लेते हैं या समोच्च रेखा पर खातिकाओं को (कन्टूर फरोज) 50 से.मी. दूर पर, 20 से.मी. गहराई पर खोद सकते हैं। 10 बैलगाड़ी देशी खाद प्रति हैक्टर डाली जाती है। जुलाई के प्रथम पखवाड़े में 30 किग्रा नत्रजन व 30 किग्रा फॉसफोरस/ हैक्टर की दर से खाद (बेसल मेन्योरिंग) दे देनी चाहिये।

बुवाई - 1 भाग मृत्तिका, 1 भाग देशी खाद तथा 1 भाग (आयत से) बीज के मिश्रण को पहली अच्छी बारिस के बाद, खातिकाओं में 3 किग्रा/ हैक्टर से बोना उचित रहता है। इसके अलावा रासायनिक उर्वरक डालना भी वांछनीय है।

प्रतिरोपण -नम किये हुए क्यारों से निकाले हुए, घास के 2 पौधे-स्लिप्स, खातिकाओं की डोल पर, 30 से.मी. दूरी पर, मिट्टी नम करने वाली अच्छी वर्षा के बाद ही लगाये जाते हैं। दो घास की पंक्तियों के बीच में 1 महीने बाद 30 किग्रा नत्रजन/ हैक्टर बुरकना लाभदायक रहता है।

रख-रखाव

यह घास पहले ही साल में स्थापित हो जाती है। इसके प्रबन्धन में आवर्ती चराई ही (रोटेशनल ग्रेजिंग) करनी चाहिये।

परिपालन- हर साल 2 अंत: संवर्धन (इंटरकलचर) जुताई करनी चाहिये ताकि खरपतवार न बढ़ सकें।

विनाशक नियंत्रण -इसकी जरूरत नहीं, पर ज्यादा चराई चारागाह के लिये हानिकारक है।

उपयोग

पत्ती उपयोगी।

चारा- बढ़त की हर अवस्था में यह घास स्वादिष्ट रहती है। घास में फूल आते समय 4-7 प्रतिशत कच्चा प्रोटीन होता है। इसकी 7-10 से.मी. की ऊँचाई पर (ठूंठ की ऊँचाई) 'आधा लीजिये, आधा छोड़िये' के सिद्धान्त पर कटाई कर लेते हैं। ये (सूखी घास) साइलेज आदि भी इस कटी हुई घास से बना लेते हैं। इसकी चराई क्षमता 6 भेड़/ हैक्टर है।

ईंधन व इमारती लकड़ी - सूखी घास आग सुलगाने के काम में लेते हैं।

अन्य उपयोग - ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों के लिये उपयोगी है।

धामन (सेंकरस सीलीयेरिस)

कुल - ग्रेमिनी

पर्यायनाम - पेनीसीटम सेंकरोइडिस, पे. सीलीयेरिस

प्रचलित नाम - अंजन, बफैल ग्रास

एक देशज, बहुवर्षीय, सदाबहार, गुच्छित 15-45 सेमी. तक ऊँची, सर्पी (ट्रेलिंग) धनी, उगने वाली घास है। इसकी तल-शाखन (टिलरिंग) क्षमता उत्कृष्ट होती है। इसका प्रकंद (रूट स्टॉक) दृढ़ होता है। पत्ती सरल, हरी रेखाकार 10-30 ग 5-1.0 सेमी, चपटी और कभी-कभी रोमिल (बारीक बालों वाली) होती है। फूल सूक्ष्म, शुभ्र (सफेद)/ पीलाभ-गुलाबी या पकने पर काले, 3-12 सेमी लम्बे बेलनाकार (सिलन्डरीकल), संयुक्त असीमाक्ष (पेनीकल) पुष्पक्रम में मुख्यतया सितम्बर-अक्टूबर में आते हैं। छिटपुट फूल साल भर ही आते रहते हैं। स्पाईकिका (स्पाईकलेट) एकल या झुंडों में होते हैं और उनके आधार रोंएदार व कँटीले होते हैं। फल सूक्ष्म, केरिओपसिस, सुनहरे रोम वाले मुख्यतया सितम्बर-अक्टूबर में ही पकते हैं।

प्रवर्धन : बीज, नर्सरी पौध, स्लिप्स (घास मय जड़) के एक या दो तने।

वृद्धि एवं उपज : तेजी से बढ़ने वाली। 5 टल चारा (30 प्रतिशत सूखी)/ हैक्टर, अगस्त से जनवरी तक चार बार काटने से मिल जाता है। यदि मावट (सर्दी में बूंदा-बांदी या वर्षा) हो जाये तो अप्रैल तक घास काटी जा सकती है। बीज उत्पादन 100 किग्रा/ हैक्टर। चारे और बीजों का उत्पादन, सिंचाई व खाद देने से बढ़ता है। उन्नत किस्में 'आई.जी.एफ. आर.आई. 3108, 3133, 59-1,35', पूसा जाइंट अंजन तथा मोलोप बफैल। पहले साल में केवल एक बार ही, मध्य अक्टूबर में काटना चाहिये और इसी काल में बीज इकट्ठा किया जाता है। इसके बाद सालों में प्रतिवर्ष 4 बार कटाई कर सकते हैं। पहली 60 दिन बाद और बाद की तीन, 30-45 दिन बाद जो वर्षा पर निर्भर करती है।

बीज

हर साल भरपूर बीज आता है। वजन 5,50,000 बीज/ किग्रा। बीज पीले से छोटे, जिन पर नरम सुनहरी रोम होते हैं।

संग्रहण - बीज वाली सींकें अक्टूबर में, हाथ से तोड़ ली जाती है। इनको 3 दिन धूप में सुखाते हैं फिर हल्के से फटककर, छानकर साफ बीज अलग कर लेते हैं।

भंडारण : बीज की जीवन-क्षमता 2 साल। बोरों में भरकर रखा जाता है।

उपचार : बिलकुल नहीं।

पौधशाला

1,000 स्लिप्स के लिये 10 ग्राम बीज काफी है। स्थायी नर्सरी बनाना ठीक रहता है। नर्सरी में ओटले क्यारे (रेज्ड बैड) 6.0 x 0.6 मीटर बनाते हैं। 4 से 6 दिन सिंचाई करते हैं और उगे हुए खरपतवारों को उखाड़ दिया जाता है। ऐसे 12 क्यारों से 1.33 लाख पौधे मिल जाते हैं जो एक हैक्टर प्लांटेशन के लिये काफी है।

बिजाई- हर ओटले क्यारे में 10 से.मी. दूर लाइनों में, 5 सेमी गहराई पर 100 ग्राम बीज, मई माह में बोते हैं। इनमें झारे से रोज सिंचाई करते हैं और पहले 4-6 दिन तक भीगे टाट के टुकड़े उन पर रख देते हैं। छाया के लिए छादक (थैच) भी रख देते हैं।

अंकुरण -60 प्रतिशत 1 सप्ताह में शुरू होकर 2 सप्ताह तक चलता है। जब अंकुरण शुरू हो जाता है तो टाट हटा लिया जाता है। और झारे से पानी देना कम करके हर तीसरे दिन दिया जाने लगता है। यदि 800 ग्राम क्यारी, केल्सियम-अमोनियम नाइट्रेट बुरक दिया जावे तो पौध अच्छी व स्वस्थ पनपती है। खरपतवार पूरी तरह से निकाल दिये जाते हैं।

बिजौला - 6 सप्ताह में ही 20-25 से.मी. ऊँचे पौधे बन जाते हैं।

उपयुक्त स्थल

जलवायु- तापमान 0^0 सें. से 48^0 सें.। वार्षिक औसत वर्षा 350-1,250 मि.मी.। प्रकाश चाहने वाला पर कुछ छाया बर्दाश्त कर लेता है। यह सूखा तथा तुषार रोधी तो है पर आग से जल्दी जल जाता है।

मिट्टी - इसे उथली, सूखी बालू या पथरीली बालू मिट्टी अनुकूल है। यह बेसाल्टिक तथा लेटरिटिक मिट्टी में भी पनपता

है। इसके लिये 10 से.मी. गहरी मिट्टी ही काफी होती है यह लवणीय व जलाक्रांत क्षेत्र में नहीं पनपता है। पी.एच. 6.5 से 7.5।

थल-रचना - अरावली में 1,600 मीटर तक ऊँचाई वाले पहाड़ी ढालों तथा मैदानों में मिलता है।

कार्य स्थल की तैयारी - अप्रैल तक झाड़ियाँ व अन्य फालतू पौधे निकाल दिये जाते हैं। मई माह में पहले मोल्डबोर्ड से, फिर दो बार देशी हल से जुताई करनी चाहिये। यदि यह संभव न हो तो 20 सेमी गहरी तथा 50 सेमी दूर समोच्च रेखा पर खातिकाएँ (फरोज) बना दी जाती हैं। तत्पश्चात 10 गाड़ी गोबर की खाद हैक्टर जून तक दी जाती है। इसके बाद 30 किग्रा नत्रजन, 150 किग्रा केल्सियम-अमोनियम-नाइट्रेट और 30 किग्रा फॉस्फेट (187 किग्रा सिंगल सुपर फॉस्फेट) प्रति हैक्टर 15 जुलाई तक खाद (बेसल डोज ऑफ मेन्योर) दे देनी चाहिये।

बुवाई - धामन घास के चारागाह बनाने की सीधी बुवाई मुख्य विधि है। इसके लिये कार्य स्थल-तैयारी, उपर्युक्त पेराग्राफ के अनुसार कर लेनी चाहिये। बोने के पहले बीजों का, थोड़ा सा पानी डालकर एक भाग मृत्तिका + 1 भाग बालू + 1 भाग गोबर खाद + 1 भाग बीज (आयत से) का एक मिश्रण बना लें। बाद में इनकी गोली या टुकड़े बना लें जिनमें 2-3 बीज हो। यह ध्यान रखना जरूरी है कि नमी ज्यादा नहीं हो वर्ना बीजों का अंकुरण हो जाता है जैसा इस घास के पैलेट्स (गोली) में बहुधा हो जाता है। यह जुलाई में, बारिश आने पर खातिकाओं में, 1 सेमी गहराई पर सटे हुए बो दिये जाते हैं। साधारणतया 5 से 6 किग्रा/ हैक्टर की दर से बीज डाला जाता है। रासायनिक उर्वरकों की इस विधि में ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ती।

प्रतिरोपण - नर्सरी में पनपाये गये घास के पौधों की 'स्लिप्स', मिट्टी नम करने वाली अच्छी वर्षा के बाद, जुलाई के अन्त में प्रतिरोपित कर दी जाती है। नर्सरी में क्यारों से निकालने के एक दिन पहले पौधों को खूब पानी देना चाहिए। दो घास की स्लिप्स को 30 सेमी की दूरी पर खातिकाओं (जो 50 सेमी की दूरी पर खुदी होती है) के डोल पर लगा देते हैं। 1 माह बाद, 30 किग्रा नत्रजन/ हैक्टर की दर से घास की दो पंक्तियों के बीच बुरकना लाभदायक है।

रख-रखाव

यह घास पहले ही साल में जम जाती है पर निरंतर उत्पादन के लिये इसका रख-रखाव बाद में भी करना पड़ता है।

परिपालन- पहले साल में 2 अंत: संवर्धन या जुताई (इन्टरकलचर) करनी चाहिये ताकि खरपतवार न रहें। बाद के सालों में हर मानसून में यह जुताई करनी चाहिये। आवर्ती चराई (रोटेशनल ग्रेजिंग) ही करानी चाहिये। बाद के सालों में रासायनिक उर्वरक देते रहना चाहिये।

विनाशक नियंत्रण - इसकी जरूरत नहीं, पर अंधाधुंध चराई नहीं होने देना चाहिए।

उपयोग

मुख्यतया चारे के रूप में।

चारा- पत्ती चारा, घास में फूल आने के तुरन्त पहले, परिपक्व होने तथा पकने की स्थिति में उचित है पर सबसे अच्छा पौष्टिक चारा फूल की कली आने पर होता है। घास की विभिन्न कटाई में कच्चा प्रोटीन 8 से 9 प्रतिशत रहता है। यह हरी, सूखी, (हे) (सूखी घास) अथवा साइलेज के रूप में भी उत्तम चारा है। इसका जैवभाव (बायोमास) उत्पादन सर्वाधिक सितम्बर-नवम्बर में होता है। घास को भूतल से 7-10 सेमी या ठूंठ की ऊँचाई (स्टबल हाइट) पर काटना/ चराना चाहिये और वो भी 70 प्रतिशत की सीमा तक ही। प्रबन्धन की दृष्टि से 'आधा लीजिये, आधा छोड़िये' उत्तम है। धामण चारागाह की चराई क्षमता 4.5 भेड़/ हैक्टर होती है।

ईंधन - सूखी घास अत्यंत ज्वलनशील होने के कारण, आग सुलगाने के काम में लेते हैं।

अन्य उपयोग - यह मिट्टी जमान के लिये उत्तम है। अत: भू संरक्षण के लिये उपयोगी है।

अतिरिक्त विशिष्टताएँ

इस घास के चारागाह विदेशी दलहन यथा स्टाइलो सिराट्रो और/ या देशी दलहन 'ऐटीलोसिया स्केबेरी ओइडीज' के साथ भी अच्छे पनपाये जा सकते हैं। जून में, हर तीसरी पंक्ति यानि 1.5 मी. दूरी पर दलहन बोया जाता है और जब यह उग जाये तो शेष दो पंक्तियों में धामन घास लगाते हैं।

अध्याय-7

चारागाह भूमि में चारा उत्पादक वृक्षों की जानकारी

1. **खेर:** पत्तीयाँ ओर फूल अच्छा भोजन है। पशुओं के लिए अच्छी पाचन शक्ति के लिए इसकी पत्तीयों में 12 प्रतिशत प्रोटीन और 50 प्रतिशत फाईबर पाया जाता है।
2. **अरूंज:** पत्तीयों में 15 प्रतिशत तैल एवं 19 प्रतिशत फाईबर है, पशुओं के चारे हेतु उपयोगी है। इसके बीजों में 27 प्रतिशत प्रोटीन होता है।
3. **बबूल:** वर्ष भर के लिए इसकी पत्तीयां और फलीयाँ हरी-भरी रहती है जिनमें 15 प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। इसकी पत्तीयाँ ऊँट व बकरी का पसंदीदा भोजन है।
4. **कुमठा:** इसकी पत्तीयों में 30 प्रतिशत और फलीयों में 22 प्रतिशत प्रोटीन है इसकी फलीयाँ मोटी और ऊँची टहनीयों पर लगती है जिन्हें डालियों को काटकर प्राप्त किया जाता है। गिरे हुए फूलों को भी चारे के रूप में पशुओं द्वारा खा लिया जाता है। चारे एंव अच्छे आहार के रूप में उपलब्ध है।
5 **अरडू:** इसकी पत्तीयाँ भेड़ और बकरीयों के लिए उच्च गुणवत्ता का आहार है जिसमें कि 20 प्रतिशत प्रोटीन और 14 प्रतिशत फाइबर होता है पकी हुयी पत्तीयाँ और डालियों का एक वर्ष में दो बार चारे के लिए उपयोग किया जा सकता है।
6. **सिरिस:** इसकी पत्तीयों में 29 प्रतिशत प्रोटीन और 25 प्रतिशत फाईबर है जो कि राजस्थान में चारे के लिए आहार है सामान्यतया बारिश के बाद इसकी डालियों को काटा जा सकता है।
7. **धोंक/धोंकरा:** पत्तीयों में उच्च आहार एवं उच्च पाचन शक्ति के लिए 8 प्रतिशत प्रोटीन एवं 19 प्रतिशत फाईबर पाया जाता है। इसकी डालियों को बारिश के दिनों में काटा जाता है।
8. **नीम:** इसकी पत्तीयाँ बकरीयों-ऊँटों के लिए अच्छा आहार है जिसमें प्रोटीन 12-18 प्रतिशत होता है जिन्हे सर्दियों में काटा एवं तोड़ा जाता है।
9. **सालर:** पत्तीयों को भेसों, बकरीयों, एवं ऊँटों के लिए काटा एवं तोड़ा जाता है। मवेशी इसकी तीखी गंध से दूर रहते हैं। गर्मीयों में सामान्यतया डालियों को काटा एवं तोड़ा जाता है जब दूसरा चारागाह स्त्रोत कम होता है।
10. **धाक:** पत्तीयों को भेसों एवं मवेशियों के लिये तोड़ा जाता है। जिसमें फाईबर की मात्रा 14 प्रतिशत एवं 30 प्रतिशत सम्मिलित है। जिन मवेशियों की पाचन शक्ति कम होती है वे इसे आसानी से नही खाते हैं।
11. **अमलतास:** इसकी पत्तीयों को आसानी से मवेशियों, भेड़-बकरीयों एवं ऊटों आदि के द्वारा किसी भी ऋतु में खाया जाता है। विशेष रूप से सर्दियों में इसकी पत्तीयों में उच्च आहार के लिए 15 प्रतिशत प्रोटीन ओर 26 प्रतिशत फाईबर है।
12. **गोंदा/लिसोड़ा:** इसकी पत्तीयों में उच्च आहार के लिए 15 प्रतिशत प्रोटीन ओर 26 प्रतिशत फाईबर है।
13. **शीशम:** इसकी पत्तीयों में 17 से 22 प्रतिशत प्रोटीन होता है जो कि अप्रेल-मई एवं जून में आहार के काम आता है जब चारे की मात्रा कम होती है।
14. **जगंल जलेबी:** इसकी फली और पत्तीयों में 29 प्रतिशत प्रोटीन ओर 18 प्रतिशत रेशा पाया जाता है। जो भोजन के लिए उपयोगी है।
15. **खेजड़ी:** इसकी पत्तीयाँ उच्च आहार उपलब्ध कराती है। जिसे सामान्य भाषा में हम लूंग बोलते है। जिसे सर्दियों में तोड़ा एवं काटा जाता है। सूखी पत्तीयों में 14 प्रतिशत प्रोटीन होता है। इसकी फलियाँ अच्छा एक अच्छा आहार है।
16. **विलायती बबूल:** केवल टहनियों के अग्रभाग पर स्थित कच्ची पत्तीयाँ पशुओं चारे के लिए उपयोग में लिया जाता है। जिनमें 13 प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है। पकी हुयी फली मीठी व प्रोटीन युक्त होती है। जो कि चारा/बांटे के समान उपयोगी होती है। इनमें 8 प्रतिशत प्रोटीन, 50 प्रतिशत कार्बोहाइड्रेड ओर 21 प्रतिशत वसा पाई जाती है।
17. **पीलू:** इसकी लटकती एवं टूटी टहनीयाँ बकरीयों एवं उटों का पसंदीदा भोजन है। जिसमें 10 प्रशित प्रोटीन और 9 प्रतिशत फाईबर पाया जाता है।
18 **रोहीड़ा:** इसकी पत्तीयों को भेड़-बकरीयों, उटों एवं मवेशियों द्वारा बड़े चाव से खाते हैं। जिसमें 12 प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है।
19 **बेर/बहेड़ा:** उच्च पाचन शक्ति युक्त भोजन है। जिसमें 13 प्रतिशत प्रोटीन एवं 18 प्रतिशत फाईबर पाया जाता है। पकी हुयी पत्तियाँ अक्टूबर से नवम्बर में गिरती है।
20. **बोरड़ी:** उच्च पाचन शक्ति युक्त भोजन है। जिसमें 13-17 प्रतिशत प्रोटीन एवं 15 प्रतिशत फाईबर पाया जाता है।
21. **झरबेरी/पाला:** उच्च पाचन शक्ति युक्त भोजन है। जिसमें 14 प्रतिशत प्रोटीन एवं 15 प्रतिशत फाईबर पाया जाता है। कटी हुयी डालियों एवं झाड़ियों से पत्तियों को सुखने के उपरान्त डण्डे से इसकी पत्तीयों को अलग कर लिया जाता है। इन सुखी पत्तीयो को ऊँट एवं बकरियों को खिलाने के लिए उपयोग में लाया जाता है एवं बची हुयी टहनियों को खेतों की मेड़ पर बाड़ के रूप में उपयोग मे लिया जाता है।

चारा उत्पादक वृक्षों की जानकारी

खेजड़ी (Prosopis Cineraria)

नीम (Azadirachta Indica)

औरिंजा (Acacia leucophloea)

बोरड़ी (Zizyphus Mauritiana)

बबूल (Acacia Nilotica)

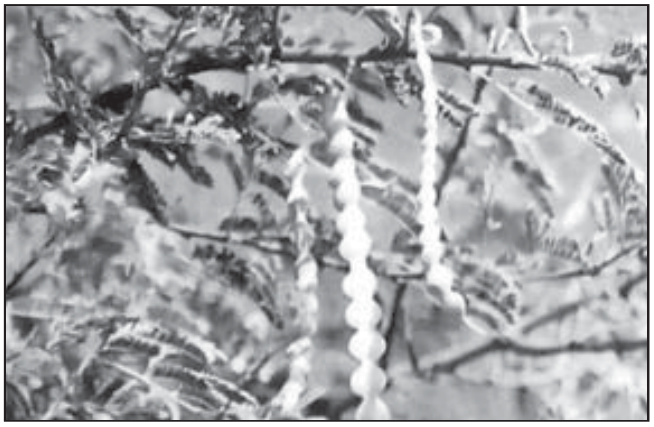

अरडू (Ailanthus Excelsa)

अध्याय-8

चारागाह व बंजर भूमि में बोये जाने वाले तैलीय वृक्षों की जानकारी

क्र.सं	तैलीय वृक्ष का नाम	रतनजोत	करंज	महुआ	नीम
1.	जलवायु /क्षेत्र	शुष्क एवं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र	समशीतोष्ण जलवायु	उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय	शुष्क एंव समस्त प्रकार की जलवायु
2.	उपयुक्त स्थान	जंगल, बंजर व अनुपजाउ भूमि पर, खेतों की मेढों पर	सड़क किनारे, रेलवे टैक के सहारे	जंगल, चारागाह भूमि पर	जंगल, सड़क किनारे चारागाह में खेतों की मेढों पर
3.	राजस्थान के उपयुक्त जिले	बांरा, कोटा, झालावाड, बूंदी, उदयपुर, भीलवाडा, सिरोही, बांसवाडा, डुंगरपुर, प्रतापगढ, राजसमन्द, चित्तौड़गढ़	अलवर, सवाई माधेपुर, भरतपुर, धोलपुर, करौली, दौसा जयपुर, टोंक, अजमेर	बांसवाडा, डुंगरपुर, प्रतापगढ, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांरा	समस्त जिले राजस्थान वृक्षनुमा 6 से 8 मी. ऊँचाई
4.	आकार	झाडीनुमा 2.5 से 3 मी. उचाई	गुम्बदाकार 2.5 से 4 मी. उचाई	वृक्षनुमा 6 से 8 मी. उचाई	6 से 8 मी. ऊँचाई
5.	संवर्द्धन/प्रसारण	बीज एवं कंटिग	बीज एवं ग्राफ्टिंग	बीज एवं ग्राफ्टिंग	बीज एवं कटिंग
6.	बुवाई का समय	फरवरी-मार्च (कटिंग से) जुलाई-अगस्त (पौध से)	जून-अगस्त	जुलाई-सितम्बर	जून-जुलाई
7.	प्रसव अवधि	2 वर्ष	4 वर्ष	8 वर्ष	5 वर्ष
8.	बीज एकत्र करने की अवधि	अक्टूबर-नवम्बर	मई -जून	मई -जून	मई -जुलाई
9.	पैदावार (बीज)	30 से 50 क्विंट/हैक्ट	50 से 80 क्विंट/हैक्ट	120 से 160 क्विंट/हैक्ट	10 से 30 क्विंट/हैक्ट
10.	तैल की मात्रा	30 से 40 प्रतिशत	27 से 39 प्रतिशत	35 से 40 प्रतिशत	20 प्रतिशत
11.	उपयोगिता	बायोडीजल, साबुन फेक्ट्री, दवाईयाँ, जैव-उर्वरक के रूप में	बायोडीजल, साबुन फेक्ट्री, दवाईयाँ, जैव-उर्वरक के रूप में	बायोडीजल, साबुन फेक्ट्री, दवाईयाँ, जैव-उर्वरक के रूप में एवं फर्नीचर	कीटनाशक, साबुन फेक्ट्री, दवाईयाँ, जैव-उर्वरक के रूप में एवं लकड़ी एवं चारा

अध्याय-9

चारागाह भूमि में फल उत्पादक वृक्षों की जानकारी

1.	**स्थानीय नाम**	**आम**	**आंवला**	**बेर**	**लहसुआ / लसोडा**
2.	वानस्पतिक नाम	**Mangifera Indica**	**Emblica officinalis**	**Zizyphus jujuba**	**Cardia myxa**
3.	उपलब्धता एवं जलवायु	सम्पूर्ण राज्य, ऊष्ण कटिबन्धीय जलवायु,	उपोष्णीय, एवं शुष्क जलवायु	उपोष्णीय, एवं शुष्क जलवायु	शुष्क जलवायु
4.	राजस्थान के उपयुक्त जिले	उदयपुर, बांसवाडा, डूंगरपुर, सिरोही, जयपुर, सवाई माधोपुर, झालावाड़, कोटा, भरतपुर व बूंदी	अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, सिरोही, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, झालावाड़, भरतपुर, दौसा, अलवर, व बूंदी	अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, सिरोही, जयपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, व बूंदी	राजस्थान के कम वर्षा वाले जिले
5.	जलवायु	ऊष्ण एवं उपोष्ण, जून से सितम्बर तक अच्छी वर्षा वाले स्थान	उपोष्णीय जलवायु सर्वोत्तम एवं शुष्क जलवायु में भी उगाया जा सकता है। पाले से नुकसान होता है।	उपोष्णीय जलवायु सर्वोत्तम एवं शुष्क जलवायु में भी उगाया जा सकता है। पाले से नुकसान होता है।	शुष्क जलवायु, कम वर्षा वाले क्षेत्र में उगाया जाता है गर्म तर जलवायु श्रेष्ठ रहती है।
6.	भूमि	गहरी, कृषि योग्य भूमि,पी.एच.मान 6.5 से 7.5	गहरी दोमट भूमि, कृषि योग्य भूमि,	सभी कृषि योग्य बलूई दोमट भूमि, पी.एच.मान 7.0 से 7.5	सभी कृषि योग्य भूमि, पी.एच.मान 7.0 से 8.5 तक
7.	किस्में	लंगडा, दसहरी, चौसा, बम्बई ग्रीन, आम्रपाली, नीलम आदि	बनारसी, चकैया, हाथी झूल, कंचन देशी	गोला, सेव, मूण्डिया, उमरान	छोटे फल वाली व बड़े फल वाली
8.	संवर्धन/ प्रसारण	बीज, ग्राफटिंग, इनार्चिंग	बीज, कलिकायन द्वारा, इनार्चिगं	बीज, कलिकायन द्वारा, इनार्चिंग	बीज, कलम एवं कलिकायन द्वारा,
9.	प्रसारण का समय	जुलाई- अगस्त	जुलाई- अगस्त	जुलाई- अगस्त	जुलाई व फरवरी
10.	पौधा रोपण	6 मी 8 मी पौधे से पौधा	5 मी 6 मी पौधे से पौधा	4 मी. 5 मी. पौधे से पौधा	3 मी 4.5 मी पौधे से पौधा
11.	खाद एवं उर्वरक	15 किग्रा. गोबर की खाद, 0.25 किग्रा सुपर फास्फेट, 0.25 किग्रा यूरिया	15 किग्रा. गोबर की खाद,0.25 किग्रा सुपर फास्फेट,0.25 किग्रा यूरिया	10 किग्रा गोबर की खाद, 0.35 किग्रा सुपर फास्फेट, 0.22 किग्रा. यूरिया	10 किग्रा गोबर की खाद, 0.125 किग्रा सुपर फास्फेट, 0.10 किग्रा यूरिया
12	सिंचाई	15-20 दिन के अन्तराल पर व गर्मी में 10 दिन के अन्तराल पर	15-20 दिन के अन्तराल पर व गर्मी में 10 दिन के अन्तराल पर	15-20 दिन के अन्तराल पर व गर्मी में 10 दिन के अन्तराल पर	15-20 दिन के अन्तराल पर व गर्मी में 10 दिन के अन्तराल पर
13	फलन	मार्च- जून	नवम्बर - फरवरी	अक्टूबर - नवम्बर	अप्रेल- मई
14	उपयोग	फल खाने में, ज्यूस, आचार, चटनी, मुरब्बा, कन्डी आदि	फल का, आचार, चटनी, मुरब्बा, कन्डी आदि	फल खाने में, सुखाकर छुआरे के रूप में, मुरब्बा, चटनी, आचार, आदि, पत्तीयां चारे के रूप में, लक्डी ईधन के रूप में।	सब्जी व आचार

संलग्नक-1 : महात्मा गाँधी नरेगा तहत चारागाह विकास बाबत शासन आदेश

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(अनुभाग-3)

क्रमांक : एफ 1 (2) ग्रावि/नरेगा/ माद/पार्ट-1/10 जयपुर, दिनांक : 26 मार्च

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय : महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत चारागाह विकास के संबंध में।
संदर्भ : माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण 2011-12 में की गयी घोषणा।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट भाषण 2011-12 के बिन्दु संख्या 107 में घोषणा की गयी है कि 'प्रशासन गाँवों के संग' अभियान के दोरान ग्राम पंचायतों की चारागाह, चरनोट, ओरन आदि भूमि पर अतिक्रमणों की समस्या सामने आई थी। अत: राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे अतिक्रमण पंचायत राज संस्थाओं को विश्वास में लेकर हटाये जायेंगे। साथ ही अतिक्रमणयुक्त भूमि पर चारागाह विकास हेतु वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं (Water Harvesting Structures) का निर्माण, वृक्षारोपण तथा कच्ची चारदीवारियों के कार्य नरेगा योजनान्तर्गत करवाये जायेंगे, ताकि भूमि की सुरक्षा के साथ-साथ पशुधन के लिए चारागाह उपलब्ध हो सके। इस सम्बन्ध में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. राजस्थान पंचायतीराज नियम 1966 के नियम 165 के अन्तर्गत पंचायतीराज संस्थाओं द्वारा चारागाह, चरनोट, ओरन आदि भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने का प्रावधान है। तद्नुसार कार्यवाही करते हुए इन भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही सम्पादित की जावे।
2. अतिक्रमण मुक्त भूमि का संबंधित पंचायतीराज संस्था से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे कि भूमि अतिक्रमण मुक्त की जा चुकी है।
3. महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों की सूची के बिन्दु संख्या 2 में सूखा रोधी जिसमें वन रोपण एवं वृक्षारोपण है, सम्मिलित है। इसके तहत कराये जाने वाले कार्यों का विवरण विभाग द्वारा जारी तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 के बिन्दु संख्या 3.1 (2) में वर्णित ळै। इसके अन्तर्गत चारागाह विकास के कार्य भी सम्पादित कराये जा सकते हैं। अतिक्रमण मुक्त इस चारागाह, चरनोट, ओरन भूमि पर उनकी सुरक्षा हेतु कच्ची चारदीवारी का निर्माण कार्य मय वृक्षारोपण तथा वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं के महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत सम्पादित कराये जावें, ताकि चारागाह भूमि को सुरक्षित रखा जा सके एवं सूखा रोधी कार्य सम्पादित कराये जा सकें। जल संरक्षण के अन्तर्गत अनुमत कार्यों का विवरण नरेगा तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 के बिन्दु संख्या 3.1 (1) में वर्णित है।
4. चारागाह, चरनोट, ओरन भूमि जो कि पंचायतीराज संस्थाओं के पास उपलब्ध है एवं जो अतिक्रमण मुक्त है उन पर बिन्दु संख्या 3 के अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जावे।
5. यदि उक्त कार्य वार्षिक कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं किये गये हैं तो इन कार्यों को सभी स्तरों से अनुमोदन कराने के उपरान्त पूरक वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित किये जावें।

6. अतिक्रमण से पूर्व, बीच में तथा कार्य समाप्त होने के उपरान्त फोटो आवश्यक रूप से ली जावे तथा इन कार्यों के संबंध में सफलता की कहानियों के रूप में संकलन भी कराया जावे।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

ह0/-

(सी.एस. राजन)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री जी।
5. निजी सचिव, सचिव, मुख्यमंत्री जी।
6. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस/ग्रामीण विकास/ पंचायतीराज।
7. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गाँधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य/ अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
8. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जयपुर/ जोधपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

ह0/-

अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, इंजी.

संलग्नक-2 : शामलात भूमि पर से अतिक्रमण हटाने सम्बन्धी शासन आदेश

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक : एफ 139 ( ) पंरावि/ विधि/ चारागाह/ 2011/532 जयपुर, दिनांक : 24-3-2011

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त।

विषय : चारागाह, चारनोट, ओरम आदि भूमि पर से अतिक्रमण हटाने के संबंध में।

माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय द्वारा 13वीं विधान सभा का षष्टम सत्र (बजट सत्र) के दौरान चारागाह, चरनोट, औरन आदि भूमि पर से अतिक्रमण हटाने हेतु निम्न प्रकार घोषणा की गई है-

'प्रशासन गाँवों के संग' अभियान के दोरान ग्राम पंचायतों की चारागाह, चरनोट, ओरन आदि भूमि पर अतिक्रमणों की समस्या सामने आई थी। अत: राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि ऐसे अतिक्रमण पंचायत राज संस्थाओं को विश्वास में लेकर हटाये जायेंगे। साथ ही अतिक्रमणयुक्त भूमि पर चारागाह विकास हेतु वर्षा जल संरक्षण संरचनाओं (Water Harvesting Structures) का निर्माण, वृक्षारोपण तथा कच्ची चारदीवारियों के कार्य नरेगा योजनान्तर्गत करवाये जायेंगे, ताकि भूमि की सुरक्षा के साथ-साथ पशुधन के लिए चारागाह उपलब्ध हो सके।

पंचायती राज नियम, 1996 के अनुसार ग्राम पंचायत को चारागाह, चरनोट, ओरन आदि भूमियों पर अतिक्रमण का सर्वे कर उनसे अतिक्रमण हटाने के लिए पंचायत के संकल्प के साथ तहसीलदार को रिपोर्ट भिजवाने का दायित्व दिया गया है। आवश्यकता होने पर उपखण्ड मजिस्ट्रेट व पुलिस सहायता का भी प्रावधान इस नियम में किया गया है। उक्त घोषणा की सफलता के लिए पंचायती राज संस्थाओं की पहल आवश्यक है।

अत: आप अपने जिले के विकास अधिकारियों तथा ग्राम सचिवों की बैठकों में सभी अधिकारियों कर्मचारियों को इसके लिए आवश्यक निर्देश देवें तथा इसके लिए एक निश्चित कार्य योजना तैयार कर अतिक्रमण हटाने की प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस कार्य में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को विश्वास मं लेकर उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त किया जावे।

अतिक्रमण मुक्त चारागाहों के विकास हेतु स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकता अनुरूप विकास योजना तैयार की जावे, ताकि भविष्य में चारागाहों पर अतिक्रमण की प्रवृत्ति पर अंकुश लग सके। इस कार्य योजना की मासिक प्रगति की रिपोर्ट आपके मासिक प्रगति प्रतिवेदन के स्थायी बिन्दु के साथ सम्मिलित करते हुए प्रतिमाह भिजवाई जावे।

ह0/-
शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री जी।
2. निजी सचिव, माननीय पंचायत राज मंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. निजी सहायक, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
6. निजी सहायक, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
7. जिला कलक्टर, समस्त।
8. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, समस्त।

ह0/-
उप शासन सचिव (विधि)

संलग्नक-3 : महात्मा गाँधी नरेगा तहत चारागाह भूमि विकास करने बाबत राज्य शासन आदेश

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(अनुभाग-3, महात्मा गाँधी नरेगा)

क्रमांक : 1 (2) ग्रावि/ नरेगा/ गाईड लाईन/ पार्ट-1/ 2012 जयपुर, दिनांक : 4 Dec 2012

जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त।

विषय : महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत चारागाह विकास कार्यक्रम बाबत।

महोदय,

1. औसतन 50 हैक्टेयर की अविवादित अथवा कम अतिक्रमित चारागाह भूमि का चयन कर प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम 1 प्रस्ताव महात्मा गाँधी नरेगा योजना के तहत 2013-14 की वार्षिक कार्य योजना में आवश्यक रूप से सम्मिलित किया जावे।
2. वृक्षारोपण कार्यों हेतु श्रमिकों का नियोजन सर्वोच्च प्राथमिकता पर किया जावे।
3. चारागाह विकास का व्यय ग्रा.पं. स्तर पर अनुमत श्रम सामग्री अनुपात 60: 40 का भाग होगा।
4. चारागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने में ग्रा.पं. को जिला प्रशासन द्वारा पूर्ण सहायक उपलब्ध कराई जाये।
5. प्रस्तावित कार्य स्थलों का चयन दिसम्बर, 2012 तक हो जावे ताकि 1 अप्रेल, 2013 से वृक्षारोपण हेतु गड्डे आदि बनाने एवं पौधारोपण हेतु खड्डों की मिट्टी का उपचार ही कार्यवाही प्रारम्भ हो सके।
6. बायफ, स्त्रश्वस्, भीलवाड़ा एवं बारां जिले में विकसित चारागाह आदि की फिल्म विसि --- फरवरी, 2013 तक कराई जावे ताकि अन्य लोगों को प्रेरणा मिल सके एवं योजनान्तर्गत सफल परिणाम अर्जित हो सके।
7. जिला परिषद स्तर पर सहायक वन संरक्षक को इस कार्यक्रम हेतु नोडल अधिवेशन बनाया जावे। इस हेतु आवश्यक स्टॉफ व साधन नरेगा से उपलब्ध कराया जावे। संबंधित विभाग को भी इस संबंध में नियमित रूप से जोड़ा जावे।
8. सड़कों एवं नगरों के दोनों तरफ निरन्तरता से वृक्षारोपण एवं वानिकी का कार्य कराया जावे। (कैटेगरी 4 में अनुमत वर्ग एवं अन्य श्रेणी के किसानों के खेतों पर)
9. चारागाह विकास की प्रगति से मासिक रूप से अवगत कराया जावे।

भवदीय
ह0/-
(अभय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

संलग्नक-4 : मनरेगा तहत तिलहन प्रजातियों के वृक्षों बाबत भारत सरकार का आदेश

No. 11017/17/2000-NREGA (UN) (Part-II)
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
(Mahatma Gandhi NREGA Division)

Krishi Bhavan, New Delhi
Dated : 29 December, 2014

To,
The Spl CSs/ Pri Secretaries/ Secretaries of Rural Development (MGNREGS)

Subject : Plantation and maintenance of trees producing oilseeds - regarding

Sir/ Madam,

One of the approved works as per the revised Schedule-I, Para 4 (1) of the MGNREGA is "Afforestation, tree plantation, and horticulture in common and forest lands, road margins, canal bunds, tank foreshores and coastal belts duly providing right to usufruct to the households covered in Paragraph 5".

2. Ministry of Agriculture has identified & recommended 11 major tree borne ollseeds (TBOs), namely, Simarouba, Mahua, Cheura, Kokum, Ollve, Neem, Jatropha, Jajoba, Tung, Wild Apricot and Karanja. The plantation of these tree can be taken upon westelands degraded forest lands.

3. In addition to reduction of dependence on Imports of oil, increasing green cover and reclaiming degraded lands, this intervention would also help in improving the livellhoods of the scheduled tribes, who are traditlonally engaged in collecting tree borne oilseeds to supplement their income.

4. It is advised that the plantation and maintenance of these tree species may be taken up under MGNREGA as per MGNREGA processes, looking at the suitability of the species to the selected area & availability of forward linkage, local agriculture of forest department may be contacted.

5. All the States are requested to communicate these advisory to all their field functionaries for ensuring plantation of these species of trees and work out local action plans.

Yours faithfully
Sd/-
(R. Subrahmanyam)
Joint Secretary (MGNREGA)

Copy to : i) The Secretary, Department of Agriculture & Cooperation, Ministry of Agriculture, Government of India, Krishi Bhavan, New Delhi in reference to his D.O. letter No. 2-2/2014-TBO/OS, dated 12th December, 2014 for information.

ii) PPS to Secretary, RD/ PPS to Special Secretary, RD/ PPS to IS (RE-1)/PS to JS (RE-II)

iii) Sr Tech Director NIC, MORD- for placing in Ministry's website.

संलग्नक-5 : महात्मा गाँधी नरेगा तहत तिलहन प्रजातियों के वृक्षों बाबत राजस्थान सरकार का आदेश

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

(अनुभाग-3)

क्रमांक : एफ 1(2) ग्रावि/नरेगा/ माद/2014 जयपुर, दिनांक : 2 Jan 2015

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषय : महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत तिलहन (Oilseeds) उत्पादक पौधारोपण एवं संरक्षण के संबंध में।
संदर्भ - ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी पत्रांक 11017/17/2008-नरेगा (यूएन) (पार्ट-II) दिनांक 29.12.2014

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत सामुदायिक भूमि, वन भूमि, सड़क किनारे एवं नहरों के किनारे आदि स्थानों पर पौधारोपण एवं उद्यानिकी के कार्य अनुमत कार्यों की श्रेणी में शामिल है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संदर्भित पत्र द्वारा योजनान्तर्गत तिलहन (Oilseeds) उत्पादक पौधारोपण एवं संरक्षण के संबंध में निर्देश जारी किये हैं। पत्र की प्रति संलग्न कर लेख है कि पत्र में दिये गये निर्देशानुसार आपके जिले की भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप तिलहन (Oilseeds) उत्पादक पौधारोपण एवं संरक्षण के कार्य महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत सम्पादित कराने की कार्यवाही की जावे।

भवदीय
ह0/-
(रोहित कुमार)
आयुक्त, ईजीएस

संलग्न : उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
3. शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गाँधी नरेगा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गाँधी नरेगा, जयपुर/ बाड़मेर।
6. रक्षित पत्रावली।

ह0/-
परि. निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस

चराई आपूर्ति हेतु अन्य शामलात भूमि को चारागाह में परिवर्तित करने की प्रक्रिया

चरण–1	शामलात तथा अन्य भूमियों की पहचान करना। (इस जानकारी को दिए गए फॉर्मेट में गाँव वालों से भरवाएं) ↓
चरण–2	गाँव के लोग बैठक करके ग्राम पंचायत को प्रस्ताव/ प्रार्थना पत्र लिखेंगे। (यह पत्र निम्न लिखित दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु लिखना है :- - पशु गणना (बड़े व छोटे मवेशी २००७/ २०११) - पटवारी से जमाबंदी व नक्शा (चारागाह, बिलानाम, वन भूमि के) उपलब्ध कराने हेतु लिखना है। (यह प्रस्ताव/ प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत में किसी भी माह की ११ या २६ तारीख तक जमा कराना है) ↓
चरण–3	राजस्व विभाग के लिए ग्राम पंचायत पत्र जारी करेगी (उपरोक्त दस्तावेजों को राजकीय कार्यों हेतु नि:शुल्क उपलब्ध कराने बाबत्) ↓
चरण–4	राजस्व विभाग (पटवारी) द्वारा ग्राम पंचायत के माध्यम से जमाबंदी व नक्शा तथा पशु गणना गाँव को उपलब्ध कराएगी। ↓
चरण–5	गाँव की पशु गणना के आधार पर चारागाह भूमि की जरूरत की गणना करना (गाँव के लोगों के द्वारा) चारागाह भूमि की जरूरत की गणना करने की विधि निम्नानुसार है :- –१ बड़ा महेशी = ½ बीघा - ५ छोटे मवेशी =१ बड़ा मवेशी = ½ बीघा यदि चारागाह पर्याप्त है है — चारागाह भूमि का विकास किया जाय यदि चारागाह अपर्याप्त है — भूमि किस्म परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाएं (बिलानाम को चारागाह में) यदि चारागाह बिल्कुल नहीं — भूमि किस्म परिवर्तन की प्रक्रिया अपनाएं (बिलानाम को चारागाह में) ↓
चरण 6	ग्राम सभा में मुद्दे सहित चर्चा करके बिलानाम भूमि को चारागाह में परिवर्तित करने के लिए सबूत (आराजी संख्या, रक्बा, किता, नक्शा) सहित प्रस्ताव तैयार करवाना (राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, १९५५, नियम ६ और राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६, धारा ९२)। ग्राम सभा में निम्न लिखित मुद्दों पर चर्चा करनी है :- - कितनी बिलानाम भूमि चारागाह हेतु चाहिए। - खसरा संख्या एवं कुल रक्वा जिसका परिवर्तन करना चाहते हैं ↓
चरण–7	ग्राम पंचायत द्वारा लैटर हेड पर NOC या प्रार्थना पत्र तहसीलदार के नाम लिखकर। तहसील कार्यालय में जमा किया जाएगा। दस्तावेजों की पावती लेना न भूलें। (चरण–6 में उल्लेखित उपर्युक्त प्रस्ताव, जमाबंदी एवं नक्शा साथ में लगाना है)

↓

चरण–8	राजस्व विभाग (तहसीलदार तथा उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) के मध्य) आंतरिक पत्राचार चलेगा और राजस्व विभाग व ग्राम पंचायत के बीच भी आंतरिक पत्राचार चलेगा।
	↓
चरण–9	राजस्व विभाग द्वारा भूमि का मौका पर्चा बनाया जाएगा और मौका पर्चा बनाते समय गाँव वालों का उपस्थित रहना आवश्यक है (पंचनामा बनेगा, कोरे पेपर पर न साइन करें) (पंचनामे की कॉपी RTI के तहत तहसील से प्राप्त की जा सकती है)
	↓
चरण–10	उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) किस्म परिवर्तन हेतु वांछित भूमि संबंधित आपत्तियाँ प्राप्त करने हेतु नोटिस जारी करेगा। आपत्ति भेजने हेतु १५–३० दिन का समय मिलेगा।
	↓
चरण–11	उपर्युक्त भूमि से संबंधित किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आने पर उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.एम.) किस्म परिवर्तन हेतु आदेश व नामांतरण–पत्र जारी करेगा।
	↓
चरण–12	चारागाह में परिवर्तित की गई बिलानाम भूमि को पटवारी द्वारा नामांतरण किया जायेगा (ग्राम पंचायत को एक कॉपी प्राप्त होगी)
	↓
चरण–13	परिवर्तित चारागाह पटवारी द्वारा सीमाज्ञान कर सीमांकन किया जायेगा, तथा ग्राम पंचायत को सुपुर्द कर सुपुर्दगीनामा पंचायत से प्राप्त किया जाएगा।
	↓
चरण–14	परिवर्तित चारागाह भूमि को ग्राम पंचायत के संपत्ति रजिस्टर (प्रपत्र–२१) में दर्ज कराना है।

↓

चारागाह भूमि को सुरक्षित करके विकसित करना

- गाँव के लोगों (या चारागाह विकास समिति) द्वारा परिवर्तित चारागाह को सुरक्षित करना तथा विकसित करना।
- किसी सरकारी योजना (जैसे नरेगा) अन्तर्गत चारागाह भूमि पर विकास कार्य कर उसे संरक्षित करना।

बायोफ्यूल प्राधिकरण

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

तृतीय तल, योजना भवन, युधिष्ठिर मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर

फोन : 0141-2224755, 2220672 फैक्स : 0141-2224754

ई-मेल : biofuelraj@yahoo.co.in, वेबसाईट : www.biofuel.rajasthan.org.in